खण्ड–505, अंक–2
सोमवार, 05 भाद्रपद शक संवत् 1940
(27 अगस्त, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2018)

(खण्ड 505 में 06 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
देवरिया शेल्टर होम काण्ड पर सदन में चर्चा कराने की मांग	9-12
प्रश्नोत्तर	13-98
वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण	98
उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 (सदन के पटल पर रखा गया)	98
उ0प्र0 शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (सदन के पटल पर रखा गया)...	98
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	99
श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अध्यादेश, 2018 (सदन के पटल पर रखा गया)	99
उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	99
उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (सदन के पटल पर रखा गया)	99
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-518/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(122)-2018, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	99
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-540/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(123)-2018, दिनांक 05 अप्रैल, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	100
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-266/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(124)-2018, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	100
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-806/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(125)-2018, दिनांक 15 मई, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	100
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-937/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(126)-2018, दिनांक 28 मई, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	100

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1093/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(127)-2018, दिनांक 13 जून, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	101
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1300/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(128)-2018, दिनांक 12 जुलाई, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	101
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1303/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(129)-2018, दिनांक 12 जुलाई, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	101
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1346/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (131)-2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	101
संस्थागत वित्त, कर एवं निबंधन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1311/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (130)-2018, दिनांक 16 जुलाई, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	102
उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	102
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2016 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	102
उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-18 (सदन के पटल पर रखी गयी)	102-103
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वित्त लेखा खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2016-2017 तथा विनियोग लेखा वर्ष 2016-2017 (सदन के पटल पर रखा गया)	103
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2009-2010 (सदन के पटल पर रखा गया)	103
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2010-2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	103
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की नवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2011-2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	104
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2012-2013 (सदन के पटल पर रखा गया)	104

विषय	पृष्ठ-संख्या
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2013-2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	104
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2014-2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	104
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2013-2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	105
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	105
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	105
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2015 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	106
उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	106
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	106
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	106
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	106
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	107
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	107
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	107
उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनयम (निरसन) विधेयक, 2018 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	107

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	108
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	108
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	108
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	108
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	108
कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2017 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	109
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) (संशोधन) विधेयक, 2017 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	109
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	109
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	109
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	109-110
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का पंचम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	110
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	110-111
उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	111
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित) ...	111
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	112
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	112-113
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	113-114
जनपद-सुल्तानपुर से लखनऊ के मध्य परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के ग्राम नरही में नौआनगला में वर्ष 2008 से विद्युतीकरण न कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में सामुदायिक केन्द्र तथा आडिटोरियम की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 के अनुसार मीरजापुर में सेनानियों को सम्मान राशि व पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद-शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड कलान में बम्हौरा से संगेडी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़क एवं पुलिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	116
जनपद-कुशीनगर के ब्लाक खड्डा में राजकीय इण्टर कालेज कटाई भरपुरवा में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कस्बा भानपुर व रूधौली में राजकीय महिला विद्यालय की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद-पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में कतिपय मार्गों एवं लघु सेतुओं का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत विसम्भरपुर मरहरा माइनर पर सड़क के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
जनपद-अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-भीटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद-फिरोजाबाद के अर्द्धनिर्मित मेडिकल कालेज में कैंसर अस्पताल यूनिट को जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	120

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत सरकार की सौर ऊर्जा योजना को उत्तर प्रदेश में समुचित तरह से लागू कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री का वक्तव्य ...	120-121
जनपद-प्रतापगढ़ में शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य...	122-123
जनपद-फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	123-125
नत्थी	126

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 27 अगस्त, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-364

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
14. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
15. अनिल सिंह, जी — उन्नाव
16. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
17. अनिता लोधी राजपूत, डा0 — बुलन्दशहर
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
23. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
24. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
25. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
26. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
27. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
28. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
30. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
31. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
32. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
35. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
36. असलम अली, श्री — हापुड़
37. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
38. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
39. आर0के0 वर्मा, डा0 — प्रतापगढ़
40. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
41. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़

42. आलमबदी, श्री आजमगढ़
43. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
45. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
46. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
47. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
48. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
49. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
50. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
52. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
53. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
54. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
55. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
56. ओमकुमार, श्री बिजनौर
57. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
58. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
59. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
60. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
61. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
62. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
63. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
64. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
65. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
66. काली प्रसाद, श्री देवरिया
67. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
68. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. केसर सिंह, श्री बरेली
71. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
72. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
73. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
74. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
75. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
76. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
77. गौरी शंकर, श्री जालौन
78. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
79. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
80. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
81. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
82. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
83. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
84. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
85. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
86. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
87. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
88. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
89. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
90. जयमंगल, श्री महाराजगंज
91. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
92. जिनेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
93. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
94. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
95. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
96. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
97. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
98. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
99. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
100. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर

101. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
102. दल बहादुर, श्री रायबरेली
103. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
104. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
105. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
106. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
107. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
110. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
112. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट,श्री बुलन्दशहर
114. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
115. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
116. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
117. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
118. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
119. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
120. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
121. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
122. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
123. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
124. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
125. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
126. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
127. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
128. नाहिद हसन, श्री शामली
129. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
130. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
131. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
132. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
133. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
134. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
135. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
136. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
137. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
138. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
139. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
140. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
141. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
142. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
143. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
144. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
145. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
146. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
147. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
148. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
149. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
150. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
151. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
152. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
153. फागू चौहान, श्री मऊ
154. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
155. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
156. बम्बा लाल, श्री उन्नाव

157. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
158. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
159. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
160. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
161. बावन सिंह, श्री गोण्डा
162. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
163. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
164. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
165. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
166. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
167. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
168. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
169. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
170. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
171. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
172. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
173. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
174. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
175. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
176. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
177. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
178. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
179. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
180. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
181. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
182. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
183. महबूब अली, श्री अमरोहा
184. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
185. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
186. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
187. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
188. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
189. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
190. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
191. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
192. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
193. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
194. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
195. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
196. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
197. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
198. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
201. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश धामा, श्री बागपत
204. योगेश वर्मा, श्री खीरी
205. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
206. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
207. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
208. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
209. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
210. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
211. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
212. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
213. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया

214. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
215. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
216. रवि शर्मा, श्री झांसी
217. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
218. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
219. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
220. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
221. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
222. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
223. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
224. राजबाला, श्रीमती रामपुर
225. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
226. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
227. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
228. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
229. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
230. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
231. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
232. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
233. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
234. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
235. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
236. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
237. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
238. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
239. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
240. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
241. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
242. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
243. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
244. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
245. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
246. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
247. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
248. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
249. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
250. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
251. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
252. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
253. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
254. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
255. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
256. लाखन सिंह, श्री औरैया
257. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
258. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
259. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
260. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
261. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
262. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
263. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
264. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
265. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
266. विजय मिश्र, श्री भदोही
267. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
268. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
269. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर

270. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
271. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
272. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
273. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
274. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
275. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
276. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
277. वीरेन्द्र, श्री एटा
278. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
279. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
280. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
281. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
282. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
283. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ
284. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
285. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
286. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
287. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
288. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
289. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
290. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
291. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
292. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
293. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
294. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
295. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
296. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
297. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
298. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
299. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
300. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
301. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
302. संजय, श्री बुलन्दशहर
303. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
304. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
305. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
306. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
307. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
308. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
309. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
310. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
311. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
312. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
313. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
314. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
315. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
316. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
317. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
318. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
319. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
320. सहेन्द्र सिंह चहौन, श्री बागपत
321. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
322. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
323. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
324. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
325. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
326. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
327. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
328. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
329. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद

330. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
331. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
332. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
333. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
334. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
335. सुरेश कुमार, श्री शामली
336. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
337. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
338. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
339. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
340. सुरेश राही, श्री सीतापुर
341. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
342. सुशान्त कुमार सिंह, कुं0 बिजनौर
343. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
344. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
345. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
346. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
347. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
348. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
349. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
350. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
351. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
352. सौरभ सिंह, श्री खीरी
353. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
354. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
355. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
356. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
357. हरिओम यादव, श्री फिरोजाबाद
358. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
359. हरीराम, श्री सोनभद्र
360. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
361. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
362. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
363. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
364. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] देवरिया शेल्टर होम काण्ड पर सदन में चर्चा कराने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो देवरिया शेल्टर होम काण्ड हुआ है, इससे बड़ा आज कोई सवाल हो ही नहीं सकता है, जिससे सरकार की छवि देश और दुनिया में बहुत खराब हो गयी है, देशवासियों का चेहरा कलंकित हो गया है, इसलिए पहले इस पर चर्चा आवश्यक है। इससे आवश्यक कोई चीज नहीं है। इस पर हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें, यह नियमों में नहीं है। हम प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा कर लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियम-311 में है। शेल्टर होम में लाल, सफेद और काली रंग की गाड़ियां आती थीं, जिनसे लड़कियों को गोरखपुर पहुंचाया जाता था और उनसे देह व्यापार कराया जाता था। ऐसा घिनौना कृत्य जो हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के संरक्षण में हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश से इसकी जांच करायी जाए। मान्यवर, मेरा आग्रह है कि आप पहले इस पर चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना आयी है, आपकी बात को सुना जायेगा, लेकिन प्रश्नोत्तर काल में मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। मा0 नेता विरोधी दल जैसे पद के लिए यह उचित नहीं है। अव्यवस्थित सदन में जो कुछ भी बोला जायेगा, वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

[इसी मध्य समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल में आकर (xxx) नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल को यह मालूम होना चाहिए कि यह सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जैसे ही देवरिया शेल्टर होम काण्ड संज्ञान में आया मा0 मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त उस पर कार्रवाई की और जिन लोगों के खिलाफ आरोप हैं, उन लोगों को जेल भेजा गया है। सरकार की मंशा किसी भी दोषी को बचाने की नहीं है। सरकार ने सीबीआई जांच के भी आदेश दिये हैं।

(वेल में उपस्थित सदस्य लगातार नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

वेल से बोला गया कोई वाक्य, वेल से लगाया गया कोई नारा कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आप लोगों ने सदन स्थगित कराने की योजना बना ली है। यह नारे लगाने की जगह नहीं है। यह पवित्र सदन है। मा0 वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, देवरिया शेल्टर होम काण्ड से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इसको आप पहले सुन लें फिर आगे बढ़ें। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। मान्यवर, सभी नियमों को शिथिल कर दें और इसे नियम-311 में सुन लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कह रहा हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर तमाम मा0 सदस्यों की सूचनायें हैं और आपके दल की भी सूचना है। मैं कह तो रहा हूं कि नियम-56 में ले लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप इसको संज्ञान में लीजिए और इस पर चर्चा कराइये। इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

श्री अजय कुमार लल्लू (वेल से)-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई। दोषियों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनके दामाद को वहां का प्रबन्धक बनाया गया था।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इसे पहले सुन लें इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाए। यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और शर्मनाक है। इससे प्रदेश की छवि धूमिल हुई हुई है। हमारी चाहत है कि इसको पहले ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर तमाम माननीय सदस्यों के नोटिस हैं। इसमें आपके दल की भी नोटिस है मैं इसे नियम-56 में ले लूंगा।

श्री लाल जी वर्मा-

आप इस पर नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नोत्तर काल भी महत्वपूर्ण है।

[वेल में उपस्थित सदस्य [xxx) नारे लगाते रहे।]

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए तो सड़क पर आन्दोलन करना चाहिए यह पवित्र सदन है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस पर पहले हम लोगों को सुन लें फिर सत्तापक्ष को सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा ही होगा पहले प्रश्नोत्तर हो जाने दीजिए। इस पर तमाम सदस्यों की नोटिस है। सदन नियमों से चलेगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, आप पहले इसका संज्ञान ले लें और इस पर चर्चा करा लें यह आपसे प्रार्थना है।

[वेल में उपस्थित सदस्य (xxx) नारे लगाने लगे]

(इसी मध्य नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी एक फोटोग्राफ उठाकर दिखाने लगे।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह तमाम विधायक हैं यह पूर्व एम0पी0 हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है। आप क्या चाहते हैं कि सदन न चले। आप नियमावली का उल्लंघन कर रहे हैं।

सदन में इस समय आपका कोई वक्तव्य नहीं लिखा जाएगा। आपके द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य कार्यवाही का भाग नहीं होगा। आपके द्वारा कही गई बात, आपके की गई नारेबाजी यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी।

[वेल में उपस्थित सदस्य (xxx) नारे लगाते रहे]

श्री अध्यक्ष-

आप हाथ उठाकर बता दीजिए कि क्या सदन स्थगित कराना चाहते हैं। हालांकि ऐसा प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से आता है। अल्पमत को यह अधिकार नहीं है।

नोट-[xxx]यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप सभी नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर नियम-311 के अन्तर्गत चर्चा करा लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं समाजवादी पार्टी के जो मित्र सामने खड़े हैं उनकी भावना का आदर करते हुए आधा घण्टा के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 08 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित कर दी।)

(11 बजकर 38 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन अपराह्न 12 बजकर 20 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद लखनऊ के के0जी0एम0यू0 में सिंकाई करने वाली खराब मशीन को ठीक कराने विषयक

****1-श्री संजय प्रताप जायसवाल-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती 300 कैंसर मरीज जो सिंकाई कराते हैं मशीनों के पुराने एवं जर्जर होने के कारण उन पर विकिरण रजिस्टेंट (प्रतिरोधक क्षमता) का खतरा मंडरा रहा है तथा सिंकाई कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब मशीनों को बदलवायेगी या ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')-

जी नहीं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के शताब्दी फेज-2 में स्थापित लीनियर एक्सीलेटर मशीन स्थापित है। दिनांक 30-07-2018 को अत्यधिक बारिश होने के कारण जलभराव होने से मशीन एवं कम्प्यूटर के उपकरणों में अत्यधिक नमी के कारण मशीन 11 अगस्त, 2018 तक खराब रही। दिनांक 13 अगस्त, 2018 से मशीन पर मरीजों का उपचार पुनः प्रारम्भ हो गया। नमी के कारण आई समस्या के दृष्टिगत मशीन को ठीक करवा दिया गया है तथा वर्तमान में मशीन पूर्णतया काम कर रही है। मशीन की उपचार क्षमता में कोई कमी नहीं है तथा मरीजों को विकिरण रजिस्टेंट का कोई खतरा नहीं है और न ही मशीन बदलवाने की कोई आवश्यकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नोटः-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मानक के अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने विषयक

***01-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग है एवं उसके सापेक्ष कितने चिकित्सक जिला चिकित्सालयों में कार्यरत हैं ? क्या सरकार सभी जिला चिकित्सालयों में मानकानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में पृथक से विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति नहीं की जाती है। प्रदेश में लगभग 7500 विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में जिला चिकित्सालयों में कुल 2114 विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता/आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु कार्य योजना विषयक

***02-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी-**

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनसंख्या मृत्यु दर क्या है तथा मृत्यु दर में कमी करने के लिए सरकार क्या योजना बना रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु क्या कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण एवं पर्यटन मंत्री (प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी)-

सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सितम्बर, 2017 के अनुसार वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर 6.9 है। प्रदेश में मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवेस्कुलर एवं स्ट्रोक रोकथाम, जे0ए0ई0एस0 रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, डेंगू, चिकनगुनियां एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या देश व प्रदेश की गम्भीर समस्याओं में से एक है। प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या स्थिर किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम

1950 के दशक से चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत परिवार को सीमित रखने हेतु स्थायी एवं अस्थायी विधियां सेवा केन्द्रों पर निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम लक्ष्यमुक्त व पूर्णतया स्वैच्छिक कार्यक्रम है।

वर्तमान में प्रदेश का टी0एफ0आर0 एन0एफ0एच0एस0-3 के अनुसार 3.8 था, जो एन0एफ0एच0एस0-4 के अनुसार घट कर 2.7 है, जिसे वर्ष 2020 तक 2.1 के स्तर तक लाना है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति देने हेतु 03 या 03 से अधिक सकल प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में 24 अप्रैल, 2017 से मिशन परिवार विकास योजना लागू किया जा चुका है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से वेबपोर्टल के माध्यम से हौसला साझेदारी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निजी स्वास्थ्य इकाइयों/नर्सिंग होम का भी सहयोग लिया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त जनसंख्या स्थिरता कोष (राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष) द्वारा बालिकाओं की शादी की आयु बढ़ाने एवं कम उम्र में मां बनने वाली माताओं के उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिगत, जन्म लेने वाले बच्चों में अन्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासनादेश दिनांक 26-07-2018 द्वारा प्रदेश में ''प्रेरणा'' योजना भी लागू की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले दम्पत्ति लाभान्वित होंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के सभी राजमार्गों पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

***03-श्री संजय गर्ग तथा श्री सुखदेव राजभर-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार द्वारा प्रदेश के सभी राजमार्गों (हाई-वेज) पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी राजमार्गों (हाई-वेज) पर ट्रामा सेन्टर स्थापित किये जाने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

23 ट्रामा सेन्टर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा 06 ट्रमा सेन्टर राज्य राजमार्ग पर स्थापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में स्वीकृत विधवा पेंशन के सम्बन्ध में

***04-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उनकी विधवा को तीस हजार की आर्थिक सहायता देने के पश्चात् उनको अनिवार्य रूप से विधवा पेंशन स्वीकृत कर दी जाती

है ? यदि हां, तो वर्ष 2017-18 में प्रदेश में कितनी ऐसी विधवा महिलायें थीं जिनको पारिवारिक लाभ की सहायता के साथ ही उसी वर्ष विधवा पेंशन भी स्वीकृत कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी नहीं। महिला कल्याण विभाग के अधीन पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना एक पृथक योजना है, जो निर्धारित पात्रता के आधार पर स्वीकृत की जाती है एवं उक्त का राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मलेरिया एवं फाइलेरिया की रोकथाम हेतु कार्य-योजना विषयक

***05-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में मलेरिया एवं फाइलेरिया का कार्यक्रम चल रहा है ? क्या यह सही है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मलेरिया कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में तथा फाइलेरिया कार्यक्रम 51 जनपदों (सूची संलग्न)† में चल रहा है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में मलेरिया रोगियों की संख्या वर्ष 2017 में जुलाई तक 4915 थी एवं वर्ष 2018 में जुलाई तक 4223 है जबकि फाइलेरिया रोगियों की संख्या वर्ष 2017 में जुलाई तक 490 थी जो कि वर्ष 2018 में 620 हो गयी है।

जी हां।

मलेरिया रोग के नियंत्रण के लिए कार्य योजना के अनुसार मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :--

1-प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा पाक्षिक भ्रमण कर ज्वर रोगियों का सर्वेक्षण तथा ज्वर पीड़ित की रक्त पट्टिकाओं का निर्माण।

2-मच्छर के लार्वा नियंत्रण तथा सेनेटरी इन्जीनियरिंग।

3-वयस्क मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटनाशक का छिड़काव एवं फॉगिंग।

4-आम जनता को मलेरिया से बचने के उपायों के प्रति जागरूक करने हेतु सघन प्रचार-प्रसार एवं माह जून, 2018 को मलेरिया रोधी माह के रूप में मनाया जाना।

5-कार्यक्रम के निरीक्षण हेतु मुख्यालय स्तर पर अपर मुख्य चिकित्सधिकारी (वी0बी0डी0) एवं जनपद स्तर पर जिला मलेरिया अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाना।

---

† देखिए नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ सं0 126 पर।

6-कार्यक्रम में लगे चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना।

7-जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समितियों का गठन कर सम्बन्धित विभागों से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण करना।

इसी प्रकार फाइलेरिया नियंत्रण के लिए कार्य-योजना के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :--

1-सर्विलांस पर विशेष बल देते हुए रोग से रोकथाम एवं बचाव के उपायों के प्रति आम जनता को जागरूक करना इसके अन्तर्गत प्रदेश में 29 अरबन फाइलेरिया नियंत्रण इकाइयां एवं 02 फाइलेरिया क्लीनिक क्रमशः इलाहाबाद एवं कानपुर में स्थापित हैं।

2-लिम्फोडीमा तथा हाइड्रोसील से पीड़ित व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर उन्हें उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना।

3-एन0डी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के सामने सेवन कराकर रोग को नियंत्रित करना।

4-एकीकृत वेक्टर जनित नियंत्रण द्वारा मच्छर जनित परिस्थितियों को समाप्त किया जाना।

5-सभी प्रभावित जनपदों में रैपिड रिसपॉन्स टीम गठित की गयी है जो तत्काल प्रभावित रोगियों को उपचार सुविधा उपलब्ध कराती है।

6-कार्यक्रम में लगे चिकित्साधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के शिक्षा में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कार्य-योजना विषयक

***06-श्री नफीस अहमद-**

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों के शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

जी हां।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के वित्तीय पोषण से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट कार्यक्रम वर्ष 2017-18 तक संचालित था। वर्ष 2018-19 में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के परिवर्तित नाम से नवीन योजना संचालित की गई है इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के वित्तीय पोषण से शैक्षणिक हब योजना स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 के चिन्हित 139 अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं 18 नगरीय क्षेत्रों में केन्द्र पुरोनिधानित मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिये 101 प्राथमिक विद्यालय, 183 राजकीय इण्टर कालेज, 60 राजकीय आई0टी0आई0, 11607 आंगनबाड़ी केन्द्र, 24 राजकीय पॉलीटेक्निक, 23 शैक्षणिक हब एवं 07 डिग्री कालेज आदि शिक्षण सम्बन्धी योजनायें स्वीकृत हैं।

उक्त के अतिरिक्त 01 हायर सेकण्डरी स्कूल, 02 उच्च प्राथमिक स्कूल, 01 मूकबधिर विद्यालय, 01 नेत्रहीन विद्यालय, 02 प्राथमिक विद्यालय, 06 जर्जर जू0हा0स्कूल का पुर्ननिर्माण एवं 01 जर्जर प्राइमरी स्कूल का पुनर्निर्माण सम्बन्धी 14 अन्य शिक्षण योजनायें स्वीकृत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से आयुर्वेद विभाग के पदों पर नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में

***07-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से आयुर्वेद विभाग में कुल स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2013 में लोक सेवा आयोग से आयुर्वेद विभाग ने 325 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र मांगे थे, जिनका अभी तक साक्षात्कार नहीं कराया गया है ? क्या सरकार इन पदों पर साक्षात्कार कराकर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 धर्म सिंह सैनी)-

आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग के माध्यम से किसी कर्मचारी का चयन न होकर आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों का चयन होता है। आयुर्वेद विभाग में आयुर्वेद

चिकित्साधिकारियों के कुल 2222 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1103 चिकित्साधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं तथा चयन वर्ष 2019 तक की रिक्तियों की गणना करते हुए कुल 1119 पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है।

जी हां। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2015 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयुर्वेद विभाग के 325 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे। इन पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इन पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार किये जाने की अद्यतन कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा साक्षात्कार कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वांचल के जनपदों में मच्छरों के प्रकोप से निजात हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

***08-श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया आदि जनपदों में मच्छरों के प्रकोप से जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, काला ज्वर, दिमागी बुखार होने के कारण यहां प्रतिवर्ष हजारों लोगों की असमय मौत हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या से निजात दिलाने हेतु कोई वृहद् कार्य योजना बनाकर उसे लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में पिछले 03 वर्षों में इन बीमारियों से ग्रसित/मृत रोगियों का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	बीमारी	ग्रसित	मृत
1	2	3	4
2016	जे0ई0	442	74
66	ए0ई0एस0	3911	641
	कालाजार	107	0
2017	जे0ई0	693	93
	ए0ई0एस0	4724	655
	कालाजार	115	0

1	2	3	4
2018	जे0ई0	74	3
09-08-2018	ए0ई0एस0	1353	108
	कालाजार	47	0

जी हां, कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत बालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा प्रशिक्षण दिये जाने हेतु

***09-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए रानी लक्ष्मी बाई योजना पिछले वर्ष सरकार द्वारा लागू की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत बालिकाओं को चरणबद्ध तरीके से सुरक्षा प्रशिक्षण दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली, 2015 दिनांक 06-02-2015 को प्रख्यापित की गयी है।

उक्त नियमावली में बालिकाओं को सुरक्षा व प्रशिक्षण दिलाया जाना प्रावधानित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने विषयक

***10-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत प्रदेश में कार्यरत आशा बहू के पद पर कार्य कर रही महिलाओं के मानदेय को बढ़ाये जाने एवं उनके द्वारा मरीजों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्हें स्कूटी दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

आशा बहुओं को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को बढ़ाये जाने के बिन्दु पर विचार किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 25-07-2018 द्वारा मा0 मंत्री, संसदीय कार्य, नगर विकास एवं शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है।

आशा बहुओं को स्कूटी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मरीजों को त्वरित सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश में निःशुल्क 102 एवं 108 एम्बुलेन्स सेवा संचालित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 व अन्य अस्तपतालों में डाक्टरों एवं नर्स के रिक्त पदों को भरने हेतु

***11-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 एवं अन्य अस्पताल में डाक्टरों, नर्सों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं तथा इन पदों को भरने की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार बतायेगी कि भारत सरकार की योजना आयुष्मान इंडिया के तहत जो सुविधायें दी जानी हैं उसके लिए सरकार ने कोई कार्य योजना/नीति बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश के सभी पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 एवं अन्य अस्पताल में चिकित्सकों के कुल 6021 पर रिक्त है। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही हैं :--

चयन वर्ष 2016-17 के सापेक्ष 1181 एवं चयन वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 1173 अर्थात कुल 2354 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया गया है।

चिकित्सकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी है।

सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पुर्ननियोजित किया जा रहा है।

वॉक-इन-इन्टरव्यू द्वारा भी योग्य चिकित्सकों की भर्ती की जा रही है।

बिड मॉडल पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की संविदा पर नियुक्ति की जा रही है।

नर्सिंग संवर्ग के अन्तर्गत प्रदेश के सभी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 एवं अन्य अस्पताल में स्टाफ नर्सों के 4798 पद रिक्त है। स्टाफ नर्स के 4031 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को भेजा गया था, जिसके क्रम में आयोग द्वारा दिनांक 17-12-2017 को परीक्षा सम्पन्न करायी जा चुकी है। चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

चिकित्सा विभाग के 194 चिकित्सा इकाईयों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या-9664 है। शेष रिक्त पदों पर शासनादेश संख्या-वे0अ0-2-2052(1)/दस-59/(एम)/2010, दिनांक 08-09-2010 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के किसी भी पद पर (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) नियुक्ति नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों पर केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की गयी है।

जी हां।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अन्तर्गत एस0ई0सी0सी0 डाटा के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 1.18 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख तक प्रति परिवार फ्लोटर के आधार पर प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की कार्य योजना बनाई गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत सामु0स्वा0 केन्द्रों एवं उससे उच्चतर चिकित्सालयों के अतिरिक्त निजी चिकित्सालयों को भी सूचीबद्ध किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को लैप्स न किये जाने की मांग

***12-श्रीमती जय देवी-**

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि अधिकारियों/कर्मचारियों को 300 दिनों तक ही अर्जित अवकाश जमा किये जाने की सुविधा प्रदत्त है, उसके उपरान्त मिलने वाला अर्जित अवकाश लैप्स (समाप्त) कर दिया जाता है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अर्जित अवकाश को लैप्स (समाप्त) न किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश को इस प्रदेश में लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का निर्णय प्रकरण व प्रदेश विशेष के सम्बन्ध में है। उक्त निर्णय उत्तर प्रदेश राज्य के लिए लागू नहीं है।

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में मिशन इन्द्र धनुष टीकाकरण योजना के लक्ष्य के सापेक्ष टीकाकरण विषयक

***13-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिशन इन्द्रधनुष टीकाकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में लक्ष्य के सापेक्ष कितना टीकाकरण कराया गया है तथा अवशेष का टीकाकरण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

प्रदेश में वर्ष 2017-18 में मिशन इन्द्रधनुष अभियान फेज-4 के अन्तर्गत चार चरण (माह अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई, 2017) में चलाया गया। जिसके अन्तर्गत कुल लक्ष्य 3255302 के सापेक्ष 2648286 बच्चों का टीकाकरण किया गया। साथ ही कुल 850094 गर्भवती माताओं को टी0टी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया एवं सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान के चार चरण (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2017 एवं जनवरी, 2018) में चलाये गये, जिसके अन्तर्गत कुल लक्ष्य 4981023 के सापेक्ष 4518571 बच्चों का टीकाकारण किया गया। साथ ही कुल 932990 गर्भवती माताओं को टी0टी0 टीकाकरण से आच्छादित किया गया। उक्त अभियानों के अन्तर्गत छूटे हुये बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण नियमित टीकाकरण सत्रों (सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार) के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने विषयक

***14-श्री प्रभात कुमार वर्मा-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर सरकार दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। प्रदेश के सभी सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर औषधियां निरन्तर उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***15-श्री सुखदेव राजभर-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उ0प्र0 में तैनात सरकारी कर्मियों को दिये जाने वाले परिवहन, स्कूल, आवास भत्ता आदि को बढ़ाने के सम्बन्ध में

***16-श्री पारसनाथ यादव-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तैनात सरकारी कर्मियों को दिये जाने वाले परिवहन भत्ता, स्कूल भत्ता, आवास भत्ता सातवें वेतनमान में अब तक नहीं बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सातवें वेतनमान में उक्त भत्तों की बढ़ोत्तरी करके उसका लाभ प्रदेश के कार्मिकों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता देय है। राज्य में कर्मचारियों को परिवहन भत्ता देय नहीं है। सातवें वेतनमान में मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता की दरें दिनांक 01-07-2018 से पुनरीक्षित की जा चुकी हैं।

राज्य में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में लेवल-3 (वेतनमान रु0 21700-69100) तक के कार्मिकों को शिक्षा सम्बन्धी सहायता दिये जाने की व्यवस्था है जिसकी दरों के पुनरीक्षण का निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुपोषित बच्चों के उपचार एवं संक्रमण से बचाव हेतु एक पृथक वार्ड की स्थापना करने हेतु

***17-श्री मनीष असीजा-**

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित किये गये कुपोषित बच्चों के उपचार के लिए जिला अस्पतालों में कोई पृथक वार्ड है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कुपोषित बच्चों के उपचार एवं संक्रमण से बचाव हेतु एक पृथक वार्ड की स्थापना कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित किये गये अतिकुपोषित बच्चों के उपचार के लिये जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजो में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से चरण बद्ध रूप से पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन0आर0सी0) स्थापित किये जा रहे है।

वर्तमान में 71 जनपदों के जिला अस्पतालों (पुरुष)/मेडिकल कालेज एवं ललितपुर जनपद की सी0एच0सी0 में कुल 77 एन0आर0सी0 स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने के सम्बन्ध में

***18-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर प्रति ली0 कितना वैट लिया जाता है ? क्या सरकार बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत पेट्रोल व डीजल के मूल्यों पर वैट घटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

पेट्रोलियम पदार्थो से बिक्री पर वैट के मद में उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होने वाला राजस्व जी0एस0टी0/वैट के मद में प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डीजल में कर की दर 17.48 प्रतिशत अथवा रु0 9.41 (जो भी अधिक हो) तथा पेट्रोल पर कर की दर 26.80 प्रतिशत अथवा रु0 16.74 (जो भी अधिक हो) है। दिनांक 21-08-2018 को पेट्रोल व डीजल की कीमत निम्नवत् है :--

पेट्रोल	पेट्रोल	डीजल
Basic Price per Ltr.	58.10	57.06
Tax Amount (Rs)	16.74	9.97
Dealers Margin (Rs)	3.31	2.20
Consumer Price per Ltr. (Rs.)	78.15	69.23

जी नहीं।

दिनांक 21-08-2018 को विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल का खुदरा मूल्य निम्नवत् है :--

क्र0 सं0	राज्य का नाम	पेट्रोल	डीजल
		मूल्य प्रति लीटर (रु0 में)	मूल्य प्रति लीटर (रु0 में)
1	2	3	4
1	उत्तर प्रदेश	78.15	69.24
2	बिहार	83.66	74.52

3	झारखण्ड	77.45	73.11
4	दिल्ली	77.63	69.15
5	पंजाब	82.84	68.99
6	मध्य प्रदेश	63.30	72.83
7	महाराष्ट्र	85.05	73.41
8	गुजरात	76.99	74.37
9	पश्चिम बंगाल	80.57	71.99
10	तेलंगाना	82.30	75.22
11	तमिलनाडु	80.64	73.04
12	राजस्थान	80.09	73.69
13	उत्तराखण्ड	78.79	69.57
14	आन्ध्र प्रदेश	83.34	75.94

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का प्रति लीटर मूल्य बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं आन्ध्र प्रदेश तथा डीजल का प्रति लीटर मूल्य बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं आन्ध्र प्रदेश से कम है।

अतः राज्य के सर्वांगीण विकास योजनाओं के लिये वित्तीय संसाधन जुटाने के दृष्टिगत वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वैट की दरों में कमी किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***19-श्री लाल जी वर्मा-**

[04थे मंगलवार के तारांकित प्रश्न सं0-19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

जनपद भदोही में स्वीकृत अस्पताल का कार्य पूर्ण किये जाने एवं निर्माण कार्य में हुई अनियमितता के विरुद्ध दोषियों पर कार्यवाही हेतु

1-श्री विजय मिश्र-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालय भदोही में नये अस्पताल के निर्माण हेतु लगभग रु0 17 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अस्पताल अभी भी अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपूर्ण निर्माण को पूर्ण कराकर नये भवन में अस्पताल संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त अस्पताल में

अधोनिर्माण एवं वित्तीय अनियमितता की जांच सरकार द्वारा वर्ष 2013 में करायी गयी थी, जिसमें लगभग रु0 8 करोड़ की अनियमितता पायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त के दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी हां।

निर्माण एजेन्सी लाभांश से धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

इकाई प्रभारी श्री जी0एस0 दीक्षित एवं लेखा प्रभारी श्री एस0पी0 चौबे को राजकीय निर्माण निगम द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-महाराजगंज के देवारांचल में दुग्ध डेरी स्थापित करने विषयक

2-श्री नफीस अहमद-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज के देवरांचल में दुग्ध विकास को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार दुग्ध डेयरी स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड-बूढ़नपुर के लेदौरा में 10000 ली0 क्षमता की दुग्ध डेयरी स्थापित है, जिसकी क्षमता उपयोगिता मात्र 25 प्रतिशत है। अस्तु अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता शेष है। जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज के देवरांचल से लेदौरा की दूरी लगभग 43 कि0मी0 है, जिसके आलोक में देवरांचल में दुग्ध डेयरी स्थापित करने का औचित्य/आधार नहीं है।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ विधान सभा के ग्राम मऊ चिरावल के अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति करने विषयक

3-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के सिकन्द्रराऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मऊ चिरावल के अस्पताल में स्टाफ न होने के कारण स्थानीय जनता को इलाज में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त के निराकरण हेतु सरकार उक्त अस्पताल में स्टाफ की भर्ती कर अस्पताल को चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

ग्राम मऊ चिरावल में नियमानुसार चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं वार्डवायॅ तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम अमरपुर काशी में ए0एन0एम0 केन्द्र पर अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

4-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या परिवार कल्याण, मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अमरपुर काशी में स्थापित ए0एन0एम0 केन्द्र पर अवैध रूप से कब्जा कर बनायी गयी पुलिस चौकी को हटाने और कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

ग्राम अमरपुर काशी विकास खण्ड बनिया खेड़ा वर्तमान में जनपद सम्भल में स्थित है, जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में नहीं है। उक्त ए0एन0एम0 सेन्टर में विगत जुलाई, 2017 से पुलिस विभाग द्वारा अवैध कब्जा कर पुलिस चौकी बनाई गई है, जो कि वर्तमान में भी उपकेन्द्र पर ही स्थापित है। मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0ओ0/उपकेन्द्र/2017-18/5771-72, दिनांक 19-07-2017 एवं अनुस्मारक-पत्र संख्या-6296-97, दिनांक 19-08-2018 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सम्भल एवं जिला अधिकारी, सम्भल से उक्त पुलिस चौकी को खाली कराने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक/जिला अधिकारी, सम्भल के स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जगींपुर के ग्राम लहुरापुर में 5 बेड के अस्पताल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

5-श्री वीरेन्द्र कुमार यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जंगीपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा लहुरापुर में 5 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा अमित इण्टरप्राइजेज, चौबेपुर, वाराणसी से वर्ष 2009 में पूर्ण कराये जाने के बावजूद अभी तक स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं हो पाया है और न ही कार्यदायी कम्पनी को पूर्ण धनराशि प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु हस्तान्तरित तथा उक्त कम्पनी को पूर्ण धनराशि भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र खड्डा में स्वीकृत यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने विषयक

6-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की स्वीकृति सरकार द्वारा मिलने के पश्चात अब तक वित्तीय प्राविधान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय प्राविधान कर उक्त यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की स्थापना की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज की स्थापना की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। अतएव निर्माण कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में यूरिया खाद की बिक्री पर लगे ए0सी0टी0एन0 टैक्स के सम्बन्ध में

7-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यूरिया खाद की बिक्री पर ए0सी0टी0एन0 टैक्स लगाया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस टैक्स के कारण किसानों को महंगी दरों पर यूरिया खाद लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टैक्स को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्राकृतिक गैस यूरिया के निर्माण हेतु मुख्य कच्चा माल है। यूरिया की एम0आर0पी0 भारत सरकार के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है तथा उत्पादन लागत एवं एम0आर0पी0 के अन्तर की धनराशि भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में निर्माता इकाइयों को प्रतिपूर्ति की जाती है। भारत सरकार के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा 05 प्रतिशत अतिरिक्त वैट को सामान्य वैट की भांति स्वीकार नहीं किया जाता। इस कारण 05 प्रतिशत अतिरिक्त वैट के अंश का सब्सिडी के रूप में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में रीइम्बर्समेन्ट नहीं किया जाता है तथा इस व्ययभार को ए0सी0टी0एन0 के रूप में उर्वरक निर्माताओं द्वारा उपभोक्ता से वसूल करने की अनुमति दी जाती है। उत्तर

प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों में प्राकृतिक गैस पर वैट की दर तुलनात्मक रूप से अधिक है। किन्तु इन राज्यों में अतिरिक्त वैट लागू न होने से ए0सी0टी0एन0 प्रभावी नहीं है। जिसके कारण अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में यूरिया की कीमत अधिक है।

प्रश्नगत मामले का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विभिन्न सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 केन्द्रों पर दवाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में

8-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के कतिपय सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 केन्द्रों पर दवाओं की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में नहीं है और केन्द्रों पर तैनात चिकित्साधिकारियों तथा अन्य स्टाफ रात्रि के समय उपलब्ध न होने के कारण इमरजेन्सी सेवाओं का लाभ भी मरीजों को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों में दवाओं की उपलब्धता कराये जाने एवं रात्रि के समय चिकित्साधिकारियों की केन्द्रों पर इमरजेन्सी सेवा दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। जनपद बाराबंकी की समस्त सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 पर प्रचुर मात्रा में दवाईयां उपलब्ध हैं तथा केन्द्रों पर तैनात चिकित्साधिकारियों व अन्य इमरजेन्सी स्टॉफ रात्रि में उपलब्ध रहकर मरीजों को इमरजेन्सी सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

केन्द्रों पर आवश्यक दवायें तथा इमरजेन्सी स्टॉफ उपलब्ध है और मरीजों को सेवायें प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जनपदों के सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 में एन्टी रैबीज इन्जेक्सन उपलब्ध कराने विषयक

9-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 पर एण्टी रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रत्येक मास कितनी मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सभी केन्द्रों पर एण्टी रैबीज इन्जेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। प्रदेश की समस्त पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 पर ऐन्टी रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध है। परिधिगत अधिकारियों के मांग-पत्र के अनुरूप ऐन्टी रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में वैक्सीन की कमी के सम्बन्ध में

10-श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थापित पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में वैक्सीन की कमी के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2018-19 में वैक्सीन की कमी को पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के कतिपय निजी अस्पतालों में कर्मचारियों के उत्पीड़न पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

11-श्री सुनील कुमार शर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कतिपय निजी अस्पतालों के मालिकों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर के पत्र दिनांक 16-08-2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में किसी भी निजी चिकित्सालय के विरुद्ध इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विदेश में मजदूरी करने जाने वाले लोगों के मेडिकल परीक्षण के सम्बन्ध में

12-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से विदेश में मजदूरी करने जाने वाले लोगों का मेडिकल परीक्षण हेतु कितने मेडिकल पैनल कहां-कहां गठित हैं ?

विदेश जाने वाले लोगों को कतिपय मेडिकल बोर्ड द्वारा अनफिट कर दिये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर निष्पक्ष रूप से स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसा कोई बोर्ड गठित नहीं है।

जी नहीं।

शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में आरोग्य निधि के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को धन उपलब्ध कराने विषयक

13-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित आरोग्य निधि के अन्तर्गत जिलाधिकारी बस्ती के द्वारा कितने पात्र लाभार्थियों को धन उपलब्ध कराया गया है ? क्या सरकार पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

आरोग्य निधि के अन्तर्गत जनपद बस्ती में किसी अभ्यर्थी को धन उपलब्ध नहीं कराया गया। जनपद बस्ती में किसी भी व्यक्ति द्वारा आरोग्य निधि के अन्तर्गत चिन्हित चिकित्सालयों में इलाज हेतु धन की मांग नहीं की गयी है। इस प्रकार जनपद बस्ती के आरोग्य निधि लाभार्थियों की सूची शून्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत ग्राम जोगिया में स्थित बैड़वा समय माता मन्दिर तथा ग्राम पंचायत लोढ़वा को पर्यटन के रूप विकसित किये जाने विषयक

14-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भानपुर बाबू के ग्राम जोगिया में स्थित बैड़वासमय माता मन्दिर तथा ग्राम पंचायत लोढ़वा में स्थापित प्राचीन शिव मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में सरकार विकसित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

उ0प्र0 पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में जिला योजना/राज्य योजना मद में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत स्थलों पर पर्यटन विकास कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

बैड़वा समय माता मन्दिर स्थल के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्प्रीचुअल सर्किट फेज-3 के अन्तर्गत योजना/प्रस्ताव पर्यटन निदेशालय द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

प्रदेश में गम्भीर मरीजों के इलाज हेतु मेडिकल कालेज और पी0जी0आई0 पहुंचाने की व्यवस्था किये जाने हेतु

15-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सकीय सुविधा तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु 108, 102 नम्बर की निःशुल्क वाहन सुविधा उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांचोपरान्त गम्भीर मरीजों को मेडिकल कालेज अथवा पी0जी0आई0, राममनोहर लोहिया अस्पताल, लखनऊ के लिए रेफर किये जाने पर उपरोक्त चिकित्सालयों में पहुंचाने की व्यवस्था सरकारी संसाधन से उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। 108, 102 एम्बुलेन्स सेवा पूर्णतः निःशुल्क है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड-रोहनियां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में समुचित स्टाफ की तैनाती करने विषयक

16-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड रोहनियां हनुमानगंज स्थित प्राथमिक स्वा0 केन्द्र व विकास खण्ड गौरा के ग्राम पंचायत गौरा हरदा में स्थापित प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में मानकानुसार स्टाफ सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोहनियां एवं दीनशाह गौरा में सृजित पदों के सापेक्ष पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र विलारी के ग्राम मोहम्मद इब्राहीमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने विषयक

17-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा मोहम्मद इब्राहीमपुर विकास खण्ड बनियाखेड़ा (आंशिक) में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

शासनादेश संख्या-34/2016/41/पांच-6-2016-22(निर्माण)/2015, दिनांक 03-02-2016 के द्वारा रु0 147.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रु0 73.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा अगली किश्त/अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था से विस्तृत पुनरीक्षित आगणन/प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में ग्राम स्तर पर तैनात आशा कार्यकत्रियों का भुगतान किये जाने विषयक

18-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में ग्राम स्तर पर तैनात आशा कार्यकत्रियों का 2 वर्ष से अधिक अवधि का बकाया मानदेय भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

19-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजगमढ़ में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनकर पूर्ण तैयार हैं तथा कितने निर्माणाधीन हैं ? क्या सरकार पूर्ण निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारियों की नियुक्ति व उपकरणों की उपलब्धता करायेगी ? क्या सरकार निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण भी पूर्ण कराकर आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद आजमगढ़ में वर्तमान में कुल 19 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्णतया तैयार है एवं 03 पूर्ण नहीं है लेकिन क्रियाशील है तथा 05 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है।

जनपद आजमगढ़ के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ एवं समस्त आवश्यक उपकरण क्रियाशील है।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के जीवन की सुरक्षा के सम्बन्ध में

20-श्री सुखदेव राजभर-

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माह अक्टूबर, 2017 से दिनांक 15 मई, 2018 तक सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मृत बच्चे पैदा हुए हैं, कितने बच्चों की प्रसूति के दौरान व प्रसूति के उपरांत मृत्यु हुई हैं ? क्या सरकार द्वारा जच्चा और बच्चा के जीवन की सुरक्षा हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

एच0एम0आई0एस0 डाटा के अनुसार वांछित सूचना (अक्टूबर, 2017 से 31 मई, 2018) निम्नवत् है :--

कितने मृत बच्चे पैदा हुए	कितने बच्चों की प्रसूति के दौरान मृत्यु हुई (01-23 घण्टे के अन्दर)	कितने बच्चों की प्रसूति के उपरान्त मृत्यु हुई (04 सप्ताह तक)
28885	3550	3295

जी हां।

नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्न योजनायें/कार्यक्रम संचालित है :--

1-न्यू बार्न केयर कॉर्नर (एन0बी0सी0सी0) की स्थापना।

2-आशाओं द्वारा गृह भ्रमण आधारित होम बेस्ड न्यू बार्न केयर कार्यक्रम (एच0बी0एन0सी0) का संचालन।

3-नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन0बी0एस0यू0) की स्थापना।

4-सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस0एन0सी0यू0) की स्थापना।

- प्रदेश की चिकित्सा इकाइयां (जिला महिला चिकित्सालयों में स्थापित एस0एन0सी0यू0/प्रथम संदर्भन इकाई में स्थापित एन0बी0एस0यू0 व पी0एन0सी0 वार्ड) में समय से पूर्व जन्मे व कम वजन के नवजातों की विशेष देखभाल व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु कंगारू मदर केयर (के0एम0सी0) दी जाती है।

5-**मां कार्यक्रम**-स्तनपान को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को केन्द्रित करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 05 अगस्त, 2016 से एक सघन अभियान ''मां'' कार्यक्रम लागू किया गया है। ''मां'' अभियान एक व्यापक कार्यक्रम है जिनमें स्तनपान का समर्थन, सम्वर्द्धन तथा संरक्षण किया जाना है। माता/गर्भवती महिलाओं के जीवन की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्न योजनायें संचालित हैं :--

1-जननी सुरक्षा कार्यक्रम

2-जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

3-मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

4-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

5-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री सुखदेव राजभर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गोण्डा ग्राम कूकनगर में वक्फ की जमीन का अधिग्रहण कर महिला महाविद्यालय की स्थापना करने विषयक

22-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद की ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में वक्फ की कितनी एकड़ जमीन उपलब्ध है और उक्त भूमि को क्या सरकार एम0एस0डी0पी0 योजना के तहत अधिग्रहण कर महिला महाविद्यालय/महिला पालीटेक्निक कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

तहसीलदार मनकापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम पंचायत कूकनगर ग्रन्ट में राजस्व अभिलेखों में मो0 अबरार अली खां/अकबर अली खां/वक्फ अलल औलाद राजा मुमताज अली खां के नाम कुल 2.693 हे0 तथा कब्रिस्तान खाते में कुल 3.949 हे0 दर्ज है। वक्फ सम्पत्ति के अधिग्रहण का अधिकार राज्य सरकार में निहित नहीं है। इस प्रकार महिला महाविद्यालय/महिला पालीटेक्निक कालेज की स्थापना का कोई प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में स्थित स्वामीनारायण छपिया मन्दिर को तीर्थ स्थल के रूप में चिन्हित करने हेतु

23-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के स्वामीनारायण छपिया मन्दिर को सभी तीर्थ स्थलों की तरह पर्यटन नक्शे में अंकित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में किसी स्थल को पर्यटन के नक्शे में घोषित करने की कोई नीति प्रख्यापित नहीं है। जनपद गोण्डा के स्वामीनारायण छपिया मन्दिर/स्थल पर चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय बजट के योजना मद में पर्याप्त बजट उपलब्ध होने पर पर्यटकों की सुविधा हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विकास कार्य कराया जायेगा।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में स्थित धार्मिक स्थल गुफा वाले बाबा मन्दिर को पर्यटक स्थल घोषित करने के सम्बन्ध में

24-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में दिल्ली-सहारनपुर रोड पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गुफा वाले बाबा मन्दिर की ख्याति व श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत सरकार इस मन्दिर को पर्यटक स्थल घोषित कर इसके समुचित विकास हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है व कब तक क्रियान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पर्यटक विभाग में किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की कोई नीति प्रख्यापित नहीं है। प्रश्नगत स्थल के पर्यटन विकास हेतु योजना जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित की गयी है किन्तु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल के पर्यटन विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बागपत में जिला मुख्यालय पर ट्रामा सेन्टर का निर्माण करने हेतु

25-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों के समुचित इलाज हेतु जिला मुख्यालय बागपत में ट्रामा सेन्टर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

जिला चिकित्सालय परिसर में एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत ट्रामा विंग निर्मित है।

जनपद आजमगढ़ में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

26-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी के कारण मरीजों का उचित इलाज नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दवाओं की मानकानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। जनपद आजमगढ़ के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक औषधियां उपलब्ध है, जिससे मरीजों का उपचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित चिकित्सालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

27-श्री रितेश पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के 1ले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-118 के उत्तर के क्रम में क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर बाकरगंज, विकास खण्ड-जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के अपूर्ण चिकित्सालय के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पी0एफ0ए0डी0 द्वारा पुनरीक्षित आगणन राशि का आवंटन कर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के 1ले सोमवार के लिए निर्धारित अतांराकित प्रश्न संख्या-118 के उत्तर में कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत करने एवं उसे मूल्यांकन करने हेतु भेजे जाने के उपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में कहा गया था। वर्तमान में निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-34/1718/पांच-6-14-9 (निर्माण)-14, दिनांक 28-08-2014 द्वारा लागत रु0 98.43 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा निर्माण कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की तैनाती करने विषयक

28-श्री पारसनाथ यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बनाये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की तैनाती न होने तथा दवाओं की कमी के

कारण आये दिन मृत्यु दर बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक चिकित्सालय तथा डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। प्रदेश के ग्रामीण अंचल में बनाये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के कुल 9717 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 6094 चिकित्सक कार्यरत हैं और उनके द्वारा चिकित्सीय कार्य भली-भांति सम्पादित किये जा रहे हैं। दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है।

जी नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जनसंख्या एवं दूरी के आधार पर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चिकित्सकों की तैनाती उपलब्धता के आधार पर की जायेगी।

विधान सभा क्षेत्र राठ नगर में 100 शैय्या के आधुनिक अस्पताल की स्वीकृति के सम्बन्ध में

29-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के राठ नगर क्षेत्र के निवासियों के इलाज हेतु 150 कि0मी0 दूर झांसी जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या राठ में 100 बिस्तर का एक आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल सरकार खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

जनपद हमीरपुर के राठ में 30 शैय्या का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में 30 शैय्या मैटरनिटी विंग निर्मित है एवं जनपद मुख्यालय पर संयुक्त चिकित्सालय स्थापित है, जिसकी दूरी राठ से 85 कि0मी0 है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र राठ नगर की सी0एच0सी0 में हड्डी रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने हेतु

30-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के राठ नगर के सी0एच0सी0 में हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सक की तैनाती सरकार कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

सी0एच0सी0 स्तर पर हड्डी रोग विशेषज्ञ का पद सृजित नहीं है। जिसके कारण जनपद हमीरपुर के राठ नगर के सी0एच0सी0 में हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हमीरपुर की सी0एच0सी0 में दन्त चिकित्सक की नियुक्ति करने विषयक

31-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विधान सभा क्षेत्र राठ में स्थापित सी0एच0सी0 में दंत चिकित्सक की नियुक्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद हमीरपुर के सी0एच0सी0 राठ में दन्त चिकित्सक का एक पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष एक दन्त चिकित्सक सी0एच0सी0 राठ में तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सरल बनाने की कार्य योजना विषयक

32-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु में आवश्यक पोस्टमार्टम की स्थापित प्रक्रिया जटिल होने से मृतक परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को सरल बनाने व पोस्टमार्टम के लिये अलग से चिकित्सक व अन्य स्टाफ की नियुक्ति तथा पूर्व के निर्धारित समय को परिवर्तित कर हर समय पोस्टमार्टम कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोस्टमार्टम हाउस में पुलिस द्वारा शव प्राप्त कराने के उपरान्त पोस्टर्माटम की कार्यवाही करायी जाती है, जिसमें विभाग का पूरा प्रयास रहता है कि उचित प्रक्रिया अपनाते हुए पोस्टमार्टम शीघ्र कराया जाय, जिससे मृतक के परिवारों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उपलब्ध संसाधनों एवं मानव संसाधन की कमी के कारण वर्तमान में अलग से चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती सभी पोस्टमार्टम हाउस में किया जाना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम दिन के समय सूर्य प्रकाश में किया जाता है, विशेष परिस्थियों में कृतिम प्रकाश में सक्षम प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृति पर ही किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 अता0 प्रश्न सं0-69 के उत्तर के सम्बन्ध में

33-श्री रितेश पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के प्रथम सोमवार के अता0 प्रश्न संख्या-69 के उत्तर के क्रम में क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में जाँच कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो तद्नुसार उक्त पर कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी हां।

प्रकरण की जांच उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद से करायी गयी। जांच अधिकारी श्री दिलीप कुमार, उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर में रक्षित मदरसा इमामिया ताजुल मकातिब, ग्राम-नागपुर मुस्तफाबाद जलालपुर, अम्बेडकरनगर की पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार मदरसे के प्रबन्धक ने दिनांक 01-04-2016 को अपने पुत्र की नियुक्ति आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत की गयी थी। उक्त नियुक्ति का अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन/भारत सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया है तथा कोई शासकीय भुगतान भी श्री सुहेल असगर को नहीं किया गया है। श्री सुहेल असगर की शिक्षक पद पर की गयी उक्त नियुक्ति के प्रस्ताव के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 01-12-2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में

34-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नगपुर परिसर में निर्माणाधीन 30 शैय्या के मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य डेड लाइन के तीन वर्ष बाद भी धनाभाव में अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हेतु पुनरीक्षित लागत का धनावंटन कर मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

मूल लागत के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में अल्पसंख्यक कल्याण के अधीन माडल स्कूलों की संख्या एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

35-श्री सुखदेव राजभर-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में अल्पसंख्यक कल्याण के अधीन कुल कितने माडल स्कूल खोले जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं व कुल कितने माडल स्कूल खोले जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति मिल गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जनपद आजमगढ़ में माडल स्कूल खोले जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को नहीं भेजे गये है। वर्ष 2017-2018 तक संचालित हो रहे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्लान के अन्तर्गत 06 इण्टर कालेजों की स्थापना किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये है जिनमें से 05 इण्टर कालेजों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका विवरण संलग्न है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में होम्योपैथी चिकित्सा को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल कालेजों की स्थापना हेतु

36-श्री विनय शंकर तिवारी-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने होम्योपैथिक चिकित्सक कार्यरत हैं ? क्या सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिये नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में होम्योपैथिक कालेजों/चिकित्सालयों में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कुल 1624 पदों के सापेक्ष कुल 822 चिकित्साधिकरी कार्यरत हैं।

प्रदेश में 7 राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज स्थापित हैं तथा 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों (अलीगढ़ एवं गोरखपुर) की अवस्थापना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उक्त 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रथम वर्ष का बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी विभाग में कर्मियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

37-श्री पारसनाथ यादव-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ का बजट व अन्य कार्यकारी योजनायें भी आयुष विभाग उपलब्ध करा रहा है ? यदि हां, तो इन विभागों में तैनात तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एक दूसरें में स्थानान्तरण व तैनाती पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश में दिनांक 27-04-2017 को आयुष विभाग को चिकित्सा शिक्षा विभाग से पृथक कर स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया है। आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी से सम्बन्धित समस्त कार्य निष्पादित किया जाता है।

आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी पृथक-पृथक चिकित्सा पद्धतियां हैं। इस प्रकार आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी इन तीन पृथक-पृथक विभागों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी एवं उनकी सेवा शर्तें पृथक-पृथक हैं। इस प्रकार पृथक-पृथक संवर्ग होने के कारण इन विभागों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियों का नियमानुसार अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र बस्ती में सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केन्द्र के संचालन हेतु

38-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जेनेरिक दवायें हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध हो इसके लिये प्रधान मंत्री जन औषधि केन्द्र खोले जाने का प्राविधान सरकार द्वारा किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बस्ती में 43 अस्पतालों में जन औषधि केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में एक कक्ष एलाट करके जन औषधि केन्द्र का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में अभी जनपद बस्ती के जिला एवं महिला चिकित्सालय एवं ओपेक चिकित्सालय, कैली बस्ती में जन औषधि केन्द्र संचालित है।

जी हां। चरणबद्ध रूप से जन औषधि केन्द्र खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ट्रामा सेण्टरों पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती एवं जनपद इलाहाबाद में आउट सोर्सिंग समाप्त कर संविदा पर कर्मियों की तैनाती के सम्बन्ध में

39-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित ट्रामा सेन्टरों पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को संविदा पर रखने का प्राविधान है ? यदि हां, तो किन-किन ट्रामा सेन्टरों पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को संविदा पर रखा गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद के ट्रामा सेंटर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को संविदा पर न रखकर आउट सोर्सिंग के द्वारा तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार आउट सोर्सिंग को समाप्त कर इलाहाबाद के ट्रामा सेन्टर में भी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को संविदा पर तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। टी0बी0 सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद के ट्रामा सेन्टर में आउट सोर्सिंग के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की कोई नियुक्ति नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ट्रामा सेन्टर में आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात किये गये तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को भुगतान किये जा रहे वेतन के सम्बन्ध में

40-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के ट्रामा सेन्टर में आउट सोर्सिंग के माध्यम से तैनात किये गये तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को कितना वेतन (मानदेय) दिया जाता है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि दिये गये वेतन (मानदेय) में से किन-किन मदों में कितना प्रतिशत कटौती की जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, इलाहाबाद के ट्रामा सेन्टर में आउट सोर्सिंग के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की कोई नियुक्ति नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर के आवासीय भवन की मरम्मत कराने विषयक

41-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुर का आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भानपुर, जनपद बस्ती के आवासीय भवन की मरम्मत/ निर्माण करा कर निवास करने योग्य बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी हा।

वित्तीय संसाधन पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत गढ़मऊ झील को पर्यटन स्थल घोषित करने विषयक

42-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव के अन्तर्गत गढमऊ झील को सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर सम्पूर्ण व्यवस्थायें करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं। गढ़मऊ झील का विकास वित्तीय वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय योजनान्तर्गत कराया जा चुका है, जिसमें घाट, सीढ़ियां, रेलिंग, बेन्चेस, पाथ-वे आदि कार्य कराये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल पर पर्यटन विकास हेतु अग्रतर कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बड़ागांव क्षेत्र के पारीछा बांध पर शौचालय, पेयजल आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु

43-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक बड़ागांव क्षेत्र में पारीक्षा बांध जहां वर्ष में दो बार वृहद मेले का आयोजन होता है तथा दूर दराज से मेले में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, को सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर सम्पूर्ण व्यवस्थायें जैसे-शौचालय, पेयजल, रैन बसेरा, सोलर लाइट, बैठने के लिये बेंच आदि की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल पर पर्यटन विकास हेतु कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के बड़ागांव नगर में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने विषयक

44-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के बड़ागांव नगर के मलयाना एवं चिरगांव नगर के मध्य स्थित अत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक तालाब जो वर्तमान में काफी जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त प्राचीन ऐतिहासिक तालाब का सौन्दर्यीकरण/पुनरुद्धार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय बजट के योजना मद में पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत स्थल का सौन्दर्यीकरण/पुनरुद्धार का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के चिरगांव नगर में प्राचीन किले में लाइट की व्यवस्था किये जाने हेतु

45-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के चिरगांव नगर में प्राचीन किले में लाइट जाने पर रात्रि प्रकाश हेतु वैकल्पिक व्यवस्था न होने से वहां आने वाले पर्यटकों को रात में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में प्राचीन किले के चारों तरफ सोलर लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल पर पर्यटन विकास का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक चिरगांव के ग्राम पहाड़ी में स्थित प्राचीन रायसैनिया के मन्दिर पर पेयजल, रैन बसेरा आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु

46-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार की दृष्टि से जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक चिरगांव के अन्तर्गत ग्राम पहाड़ी स्थित प्राचीन रायसैनिया का मन्दिर, जहां सप्ताह में दो बार हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं, को सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर सम्पूर्ण व्यवस्थायें जैसे शौचालय, पेयजल, रैन बसेरा,

सोलर लाइट, बैठने के लिये बेंच आदि की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है, अपितु पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं के सुविधार्थ पर्यटन अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी कार्य कराये जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग के योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल पर पर्यटन विकास का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में डेंगू, मलेरिया आदि रोगों से निपटने के लिये कार्य योजना बनाने विषयक

47-श्री पारसनाथ यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, इन्सोफलाइटिस के बढ़ते प्रकोप को दूर करने हेतु सरकार द्वारा इससे निपटने के लिये कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

डेंगू/मलेरिया एवं इन्सेफ्लाइटिस के रोकथाम के लिए पृथक-पृथक तैयार की गयी कार्य योजना-2018 की रूपरेखा के मुख्य-मुख्य अंश निम्नवत् हैं :--

1-सर्वेक्षण जिसके अन्तर्गत रोग के प्रसार की समय रहते जानकारी प्राप्त कर बचाव एवं नियंत्रण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

2-जनपद स्तर पर रैपिड रिस्पान्स टीम का गठन।

3-बचाव एवं उपचार हेतु चिकित्सकों/पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण।

4-स्वच्छता एवं बचाव के उपायों के प्रति जनता को जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार एवं प्रसार।

5-अन्तर्विभागीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित कर स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि की व्यवस्था कराया जाना।

6-पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर समितियों का गठन।

7-लार्वा साइड्ल छिड़काव एवं फांगिग स्प्रे।

8-मस्तिष्क ज्वर से बचाव हेतु 1-15 वर्ष के आयु के बच्चों का टीकाकरण।

9-इन्सेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेन्टर्स, पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 का सुदृढ़ीकरण।

10-मतिष्क ज्वर से अपंग हुए बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में सेना अस्पताल की तरह पुलिस के जवानों के लिये अस्पताल बनवाने विषयक

48-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में सेना अस्पताल की तरह पुलिस के जवानों के लिये बस्ती पुलिस लाइन में अस्पताल सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बस्ती के पुलिस लाइन में 08 बेड का चिकित्सालय क्रियाशील है, जहां पर पुलिस के जवानों का तथा उनके परिजनों का इलाज किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

49-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[1ले मंगलवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में डीजल पेट्रोल में वैट दर की कमी किये जाने की मांग

50-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती मंहगाई एवं डीजल पेट्रोल के मूल्यों की बढ़ती कीमत से निजात दिलाने हेतु सरकार लागू वैट दर पर कमी किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

पेट्रोलियम पदार्थों से बिक्री पर वैट के मद में उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होने वाला राजस्व जी0एस0टी0/वैट के मद में प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डीजल में कर की दर 17.48 प्रतिशत अथवा रु0 9.41 (जो भी अधिक हो) तथा पेट्रोल पर कर की दर 26.80 प्रतिशत अथवा रु0 16.74 (जो भी अधिक हो) है। दिनांक 21-08-2018 को पेट्रोल व डीजल की कीमत निम्नवत् है :--

	पेट्रोल	डीजल
Basic Price per Ltr.	58.10	57.06
Tax Amount (Rs)	16.74	9.97
Dealers Margin (Rs)	3.31	2.20
Consumer Price per Ltr. (Rs)	78.15	69.23

दिनांक 21-08-2018 को विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल का खुदरा मूल्य निम्नवत् है :--

क्र0सं0	राज्य का नाम	पेट्रोल	डीजल
		मूल्य प्रति लीटर (रु0 में)	मूल्य प्रति लीटर (रु0 में)
1	उत्तर प्रदेश	78.15	69.24
2	बिहार	83.66	74.52
3	झारखण्ड	77.45	73.11
4	दिल्ली	77.63	69.15
5	पंजाब	82.84	68.99

6	मध्य प्रदेश	63.30	72.83
7	महाराष्ट्र	85.05	73.41
8	गुजरात	76.99	74.37
9	पश्चिम बंगाल	80.57	71.99
10	तेलंगाना	82.30	75.22
11	तमिलनाडु	80.64	73.04
12	राजस्थान	80.09	73.69
13	उत्तराखण्ड	78.79	69.57
14	आन्ध्र प्रदेश	83.34	75.94

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का प्रति लीटर मूल्य बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं आन्ध्र प्रदेश तथा डीजल का प्रति लीटर मूल्य बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं आन्ध्र प्रदेश से कम है।

अतः राज्य के सर्वांगीण विकास योजनाओं के लिये वित्तीय संसाधन जुटाने के दृष्टिगत वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वैट की दरों में कमी किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के वाणिज्यकर भवन में अपील मुख्यालय बनाने तथा मैनपुरी में कैम्प कार्यालय बनाने के सम्बन्ध में

51-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रसिद्ध कांच चूड़ी उत्पाद नगरी फिरोजाबाद की वाणिज्यकर/ जी0एस0टी0 की अपीलें एडीशनल कमिश्नर अपील के यहां दाखिल एवं सुनी जाती हैं जिनका मुख्यालय वर्तमान में मैनपुरी में होने के कारण जनपद के व्यापारियों, उद्यमियों, अधिवक्ताओं एवं अधिकारियों को असुविधा उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि व्यापक जन एवं राजस्व हित में फिरोजाबाद के अन्दर अपील मुख्यालय हेतु समस्त सुविधाओं से लैस वाणिज्यकर भवन में अपील मुख्यालय बनाने तथा मैनपुरी में कैम्प कार्यालय बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री जी को प्रेषित पत्र संख्या-क-6 नं0 037090 दिनांक 22-05-2018 एवं अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त एवं राजस्व को प्रेषित पत्र संख्या-क-6 नं0 037746 दिनांक 22-05-2018 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुख्यालय जनपद मैनपुरी में है किन्तु जनपद मैनपुरी एवं जनपद फिरोजाबाद में तीन-तीन दिन अपीलों की सुनवाई की जाती है।

जी हां।

उक्त पत्रों पर वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित जनपदीय कार्यालयों से सूचनाएं कमिश्नर, वाणिजय कर, उ0प्र0 के माध्यम से प्राप्त की गईं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद मैनपुरी में 998 अपीलें तथा जनपद फिरोजाबाद में 961 अपीलें दायर हुईं। इन आंकड़ों के आधार पर दोनों जनपदों में लगभग समान अपीलें होने के कारण व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत दोनों जनपदों में तीन-तीन दिन सुनवाई की व्यवस्था बनाये रखना ही उचित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय में आई0सी0सी0यू0 अनिवार्य एवं आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने विषयक

52-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के एस0एन0एम0 जिला चिकित्सालय की आई0सी0सी0यू0 में इकोकार्डियोग्राफी एवं कलर डाप्लर मशीन, सेन्ट्रल आक्सीजन सप्लाई यूनिट, वेंटीलेटर, 100 एम0ए0 पोर्टबल एक्स-रे मशीन आदि की सुविधा न होने के कारण फिरोजाबाद जिला अस्पताल के आई0सी0सी0 यूनिट में भर्ती होने वाले रोगियों को इनसे सम्बन्धित उपचार सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आई0सी0सी0यू0 में उक्त अनिवार्य एवं आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद के अधिकांश भाग में सेन्ट्रल ऑक्सीजन सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। शेष भाग की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आई0सी0यू0 में भर्ती रोगियों को सिलेण्डर के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। चिकित्सालय में वेन्टीलेटर, 100 एम0एम0 पोर्टेबुल एवं अन्य एक्स-रे मशीन, कलर डॉप्लर मशीन की सुविधा उपलब्ध है। ईको कार्डियोग्राफी मशीन जिला चिकित्सालय के मानक में न होने के कारण स्थापित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में हृदय रोगियों के उपचार के लिए आधुनिक कैथ लैब की स्थापना कराने विषयक

53-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में हृदय रोगियों के उपचार के लिये कोई उच्च स्तरीय सुविधा नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में जनपद कें नागरिकों को जन-धन हानि का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में फिरोजाबाद के हृदय रोग से पीड़ित नागरिकों की सुविधा हेतु एक आधुनिक कैथ लैब की स्थापना कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। जनपद फिरोजाबाद के जिला चिकित्सालय में मानक के अनुरूप हृदय रोग के उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

आधुनिक कैथ लैब जिला चिकित्सालय के मानक में नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों/तीमारदारों के बैठने आदि के लिए ट्रामा सेन्टर भवन के विस्तार के सम्बन्ध में

54-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउण्ड, एक्स-रे, आधुनिक आपरेशन थियेटर आदि सुविधाओं से लैस होने के कारण ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीजों की संख्या काफी बढ़ गयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त के अनुपात में मरीजों के परिजनों/तीमारदारों के बैठने आदि के लिये आवश्यक व्यवस्था का अभाव एवं वार्ड में स्थान अभाव होने के कारण नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान ट्रामा सेंटर भवन के विस्तार करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी नहीं। मरीजों/तीमारदारों के बैठने आदि के लिए आवश्यक व्यवस्था है। वार्ड में अधिक मरीज होने पर चिकित्सालय के दूसरे वार्ड में स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में

55-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उद्योग बन्धु जनपद स्तर पर मण्डल स्तर पर तथा प्रदेश स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं को उद्योगो को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने मे आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही गठित एक विशिष्ट संस्था है। इसके द्वारा उद्यमियों को विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र, स्वीकृति-पत्र इत्यादि भी निर्गत किये जाते है। इसके अतिरिक्त व्यापार बन्धु व्यापारियों के समक्ष दैनिक रूप से आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिये है और इसका गठन जनपद एवं राज्य स्तर पर किया गया है। व्यापार बन्धु में व्यापारियों के समक्ष आने वाली छोटी-छोटी समस्याओं को रखा जाता है, जिसका सम्बन्ध वाणिज्य कर विभाग, बिजली विभाग, कानून व्यवस्था, नगर निगम/नगर पालिका/स्थानीय निकाय, जल निगम/जल संस्थान, मण्डी परिषद्, बांट एवं माप आदि विभागों से होता है। चूंकि उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याएं लगभग एक ही प्रकार की है, अतः पृथक से व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का औचित्य नहीं है।

जनपद आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानकानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करने विषयक

56-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंग कि जनपद आजमगढ़ में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा किन-किन स्थानों पर संचालित हैं ? क्या इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानक के अनुरूप चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानकानुसार कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद आजमगढ़ में कुल 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो निम्न स्थानों पर स्थापित एवं संचालित है :--

1	अहिरौला	12	मुबारकपुर
2	अतरौलिया	13	जीयनपुर
3	बिलरियागंज	14	परशुरामपुर
4	हरैया	15	बरदह
5	कोयलसा	16	मेहनाजपुर
6	लालगंज	17	जिगनी

7	मेहनगर	18	बढ़या
8	पल्हनी	19	मिर्जापुर
9	पवई	20	मुहम्मदपुर
10	फूलपुर	21	मार्टिनगंज
11	सठियांव	22	तहबरपुर

इन समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर उपलब्ध मानव संसाधन के आधार पर चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है न कि मानक के अनुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी एवं कटेहरी में मानक के अनुसार पी0एच0सी0 स्वीकृति के सम्बन्ध में

57-श्री लाल जी वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी एवं कटेहरी में मानक के अनुसार कितने-कितने पी0एच0सी0 होने चाहिये एवं उसके सापेक्ष कितने-कितने पी0एच0सी0 उपलब्ध हैं ? क्या सरकार उक्त ब्लाकों में मानक के अनुसार पी0एच0सी0 स्वीकृत कर बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक की सभी शर्तों को पूर्ण किये जाने की दशा में मानक के अनुसार विकास खण्ड भीटी में कुल 06 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए तथा विकास खण्ड-कटेहरी में कुल 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए।

विकास खण्ड भीटी में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है।

विकास खण्ड कटेहरी में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

1-प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र नसीरपुर संचालित है।

2-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अशरफपुरबरवां संचालित है।

3-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र औरंगनगर संचालित है।

वित्तीय एवं मानव संसाधन पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में मानसिक रोगियों की स्तरीय सुविधाओं हेतु जिला अस्पताल में मानसिक रोग विंग की स्थापना करने हेतु

58-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0एच0एम0 के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में स्थानाभाव के चलते 01 कमरे में ओ0पी0डी0 का संचालन किया जा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि मानकानुसार यह विभाग 03 कक्षों में संचालित किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो क्या सरकार मानसिक रोगियों की स्तरीय सुविधाओं के लिये जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में एक पृथक ''मानसिक रोग'' विंग बनाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में एक कक्ष ओ0पी0डी0 हेतु आवंटित किया गया है। उक्त के अलावा एक कक्ष डिस्ट्रिक काउन्सिलिंग सेन्टर (मनकक्ष) के लिये तथा एक कक्ष डी0एम0 एच0पी0 कार्यालय हेतु आवंटित किया जाना है। तीन कक्षों के आवंटन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद को निर्देशित किया जा चुका है। वर्तमान समय में जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में ओ0पी0डी0 के अलावा शेष दो कक्षों की स्थापना हेतु आवश्यक वस्तुओं का क्रय पूर्ण कर लिया गया है एवं स्थापना प्रक्रियाधीन है, जिसे दो माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में नेत्र रोगियों हेतु फैको मशीन की स्थापना हेतु

59-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में नेत्र रोगियों के आपरेशन हेतु फैको मशीन उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार को जानकारी है कि नेत्र रोगियों के आपरेशन हेतु फैको मशीन के उपयोग से आपरेशन के परिणाम एवं गुणवत्ता में सकारात्मक परिणाम आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद के नेत्र रोगियों के उपचार/आपरेशन की गुणवत्ता सुधार हेतु फैको मशीन की स्थापना कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी हां।

आगामी वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एन0एच0एम0 के माध्यम से भेजी जाने वाली पी0आई0पी0 में फिरोजाबाद जिला चिकित्सालय

हेतु फैको मशीन के क्रय हेतु धनराशि की मांग भारत सरकार से की जायेगी तथा कार्यवाही भारत सरकार से प्राप्त होने वाली स्वीकृति पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना करने हेतु

60-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में स्थित ब्लड बैंक हेतु ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर की आवश्यकता है ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में स्थापित ब्लड बैंक में अपर्याप्त स्थान होने के कारण कार्य संचालन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार एक आधुनिक ब्लड बैंक की स्थापना के लिये नये भवन के निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

ब्लड कम्पोनेंट सेपरेटर की आवश्यकता उस परिस्थिति में होती है जब ब्लड की सप्लाई 15 यूनिट प्रतिदिन हो। वर्तमान में जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद के ब्लड बैंक में औसत प्रतिदिन ब्लड सप्लाई 06 यूनिट की है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित है।

61-श्रीमती मनीषा अनुरागी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ को मिला कर एक ही संघ करने हेतु

62-श्री पारसनाथ यादव-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में आयुष विभाग में कितने तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, चिकित्साधिकारी व निदेशक तैनात हैं, क्या सरकार को जानकारी है कि अलग-अलग विभागों का कार्य होने व विभाग एक होने के कारण आयुष विभाग पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अलग-अलग विभागों आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ को मिला कर एक साथ करने एवं कर्मचारियों का आमेलन एक में ही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

आयुष विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद विभाग में तृतीय श्रेणी के 2695 कर्मचारी, 2055 चिकित्साधिकारी एवं 02 निदेशक, कार्यवाहक रूप में तैनात हैं। आयुष विभाग के अन्तर्गत यूनानी विभाग में तृतीय श्रेणी के 296 कर्मचारी, 161 चिकित्साधिकारी एवं 01 निदेशक कार्यवाहक रूप में तैनात हैं।

आयुष विभाग के अन्तर्गत होम्योपैथी विभाग में तृतीय श्रेणी के 1232 कर्मचारी, 423 चिकित्साधिकारी, 402 वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, 63 जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं 01 निदेशक तैनात हैं।

अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार विभाग की स्थापना की गयी है। अतएव पृथक-पृथक विभाग की अपरिहार्यता एवं आवश्यकता है। इसमें अतिरिक्त व्यय भार का कोई प्रश्न निहित नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद, यूनानी तथा होम्योपैथी, पृथक-पृथक चिकित्सा पद्धतियां हैं। इस प्रकार आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी, इन तीन पृथक-पृथक विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी एवं उनकी सेवा शर्तें पृथक-पृथक हैं। इस प्रकार पृथक-पृथक संवर्ग होने के कारण इन विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का नियमानुसार आमेलन नहीं किया जा सकता है।

जनपद फिरोजबाद के 100 शैय्या मेटरनिटी विंग में चिकित्सकीय उपकरणों एवं फर्नीचर की स्थापना करने हेतु

63-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के 100 शैय्या मेटरनिट्री विंग की स्थापना के पश्चात् आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों फर्नीचर आदि की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पायी हैं ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त के कारण 100 शैय्या मेटरनिटी विंग में आने वाले रोगियों को इस चिकित्सालय स्थापना के उद्देश्य से परिकल्पना एवं क्षमता की तुलना में कमतर सुविधायें मिल पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद के 100 शैय्या मेटरनिटी विंग में अपेक्षित चिकित्सकीय उपकरणों एवं फर्नीचर की स्थापना कराने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

नवगठित उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के स्तर से अपेक्षित चिकित्सकीय उपकरणों एवं साज-सज्जा सामग्री का क्रय किया जाना प्रक्रियाधीन है।

जी हां।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में NHM योजना के अन्तर्गत बेड मेटरनिटी विंग में 125 एवं 62.5 के0वी0एस0 क्षमता के दो जेनेरेटर स्थापित किये जाने हेतु

64-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत 100 बेड मेटरनिटी विंग में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु एक जेनरेटर स्थापित है ? क्या सरकार अवगत है कि विद्युत आपूर्ति बाधित/भंग होने की स्थिति में उक्त जेनरेटर द्वारा विद्युत आपूर्ति सुचारु किये जाने की सुविधा न होने के कारण चिकित्सालय में इलाज करा रहे (भर्ती) रोगियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में 125 के0वी0एस0 एवं 625 के0वी0एस0 क्षमता के दो जेनरेटर स्थापित कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

30 शैय्या जिला महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में उपलब्धता 62.5 के0वी0ए0 के जनरेटर को 100 शैय्या मैटरनिटी विंग में स्थापित कर हर सम्भव सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है। उपलब्ध जेनरेटर के द्वारा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के 100 शैय्या मेटरनिटी विंग में चिकित्साधिकारियों, पैरामेडीकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्त करने विषयक

65-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में एन0एच0एम0 योजना के अन्तर्गत 100 बेड मेटरनिटी विंग में शासनादेश संख्या-267/2016/2249(क)/ पांच-6-16-20(जी)/16 टी0सी0, दिनांक 28-10-2016 के अनुक्रम में चिकित्साधिकारी पैरामेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी (सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा) के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पदों पर नियुक्ति हो गयी है तथा कितने पद रिक्त हैं क्या सरकार अवगत है कि 100 शैय्या मेटरनिटी विंग में स्वीकृत पद के सापेक्ष चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी पद बड़ी संख्या में रिक्त होने के कारण चिकित्सालय में आने वाले रोगियों/नागरिकों को उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सामान्य मानकों से भी कमतर दर्जे का है ? यदि हां, तो क्या सरकार फिरोजाबाद के 100 शैय्या मेटरनिटी विंग हेतु चिकित्साधिकारियों,

पैरामेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को भरने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद फिरोजाबाद के 100 बेड मैटरनिटी विंग में चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ एवं चतुर्थ श्रेणी (सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा) के कुल 110 पद स्वीकृत है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कुल 06 पदों पर नियुक्ति की गयी है तथा कुल 104 पद रिक्त है। 30 बेड हास्पिटल में कार्यरत 06 चिकित्साधिकारियों से मेटरनिटी विंग का संचालन कराया जा रहा है।

चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को भेजा गया। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर प्रदेश में रिक्तियों के सापेक्ष मेटरनिटी विंग में चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जायेगी, पैरामैडिकल स्टाफ के पदों को भरने तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग से लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला अस्पताल में एन0सी0डी0 एवं वृद्धजनों के लिये पृथक वार्ड की स्थापना हेतु

66-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में एन0सी0डी0 एवं वृद्धजन वार्ड के लिये कोई पृथक वार्ड न होने की दशा में पुरानी इमरजेंसी वार्ड को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ? क्या सरकार अवगत है कि उक्त वार्ड की क्षमता एवं सुविधायें अधोमानक होने के कारण (शौचालय, स्नान घर आदि) अशक्त एवं वृद्धजनों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल में एन0सी0डी0 एवं वृद्धजनों के लिये नये पृथक वार्ड की स्थापना कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद फिरोजाबाद में 'नेशनल प्रोग्राम फार हेल्थ केयर आफ द एल्डरली' (एन0पी0एच0सी0ई0) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में पुरानी इमरजेंसी वार्ड का उच्चीकरण/नवीनीकरण करके 10 बेड का साज-सज्जा युक्त जीरियाटिक वार्ड स्थापित किया गया है। इमरजेंसी वार्ड में जीरियाटिक वार्ड का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है एवं वृद्धजनों को गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान की जा रही है। जीरियाटिक वार्ड में पुरुष एवं महिला शौचालय (भारतीय एवं पाश्चात्य पैटर्न) पृथक-पृथक उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के उप मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 01-04-2017 से 15-05-2018 तक झोला छाप डाक्टरों के चालान कराने विषयक

67- प्रिंस वीर विक्रम सिंह, -

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 01-04-2017 से 15-05-2018 तक कितने झोला छाप डाक्टरों का चालान किया गया तथा कितने झोला छाप डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

01-04-2017 से 15-05-2018 तक 22 झोलाछाप डाक्टरों को नोटिस देकर 09 के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। झोलाछाप डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मई, 2014 से मई, 2018 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत खोले गये खातों की संख्या एवं जमा धनराशि के सम्बन्ध में

68-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीयकृत बैंकों में अप्रैल, 2014 तक कितने लोगों ने बैंक खाते खोले थे ? इसमें से चालू खाता और बचत खाते की संख्या क्या थी ? क्या सरकार बतायेगी कि मई, 2014 से मई, 2018 तक प्रदेश के परिवारों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के अन्तर्गत कितने खाते खुलवाये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि इसमें से कितने खाते बन्द कर दिये गये हैं तथा इन बंद किये गये खातों में कितनी धनराशि जमा है ?

श्री योगी आदित्नाथ-

भारतीय संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत बैकिंग, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय सूची का विषय है। बैंकों पर भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक का नियन्त्रण रहता है तथा प्रश्न में उल्लिखित सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही केन्द्र सरकार को उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्रों रुधौली में संचालित सी0एच0सी0, पी0एच0सी0 में स्टाफ की तैनाती के सम्बन्ध में

69-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में संचालित सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर मानक के अनुरूप डाक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के अन्तर्गत कुल 03 सी0एच0सी0 एवं 09 पी0एच0सी0 क्रियाशील हैं। उक्त सी0एच0सी0 एवं पी0एच0सी0 में कुल स्वीकृत 40 पदों के सापेक्ष 30 चिकित्सक तैनात हैं। रिक्त 10 पदों पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

उक्त सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर स्टाफ नर्स को छोड़कर मानक के अनुरूप पैरामेडिकल स्टाफ तैनात हैं। स्टाफ नर्स के पद पर चयन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के तहसील किरावली के ग्राम रुनकता में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने हेतु

70-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम सभा रुनकता में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय परिसर के अवैध कब्जों/अतिक्रमण को हटाकर चिकित्सालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम सभा रूनकता में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के तहसील किरावली के ग्राम कठवारी में सरकारी चिकित्सालय को पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में

71-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के अन्तर्गत ग्राम कठवारी में जिला पंचायत आगरा द्वारा संचालित सरकारी चिकित्सालय वर्ष 2000 से बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उक्त चिकित्सालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के जिला चिकित्सालय के एस0एन0 हास्पिटल में पुलिस की मजरूबी चिट्ठी के मेडिकल परीक्षण कराये जाने विषयक

72-चौ0 उदयभान सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लड़ाई-झगड़ा हो जाने पर चुटैल/घायल व्यक्ति का जिला चिकित्सालय, आगरा एस0एन0 हास्पिटल आगरा में बिना पुलिस की मजरूबी चिट्ठी के मेडिकल परीक्षण कराये जाने पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

यदि कोई चुटैल/घायल व्यक्ति उपचार हेतु चिकित्सालय में आता है तो तत्काल उसका इलाज प्रारम्भ कर दिया जाता है तथा मेडिकल परीक्षण कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग को सूचित कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के जिला अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति किये जाने हेतु

73-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के जिला अस्पताल में दवाओं के अभाव के चलते मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला अस्पताल में दवाओं की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। जिला चिकित्सालय बस्ती में पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के जिला अस्पताल, महिला अस्पताल तथा टी0बी0 अस्पताल में निजी फर्म पी0ओ0 सीटी लैव में अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक

74-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के जिला अस्पताल, महिला अस्पताल तथा टी0बी0 अस्पताल में पी0ओ0 सिटी लैब संचालित है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त सरकारी अस्पतालों में निजी फर्म के पी0ओ0 सिटी लैब से जांच कराये जाने तथा जिस अस्पताल में कम मरीज आते हैं वहां अधिक मात्रा में रीजेन्ट खरीद की

शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बस्ती के जिला अस्पताल, महिला अस्पताल तथा टी0बी0 अस्पताल में राजकीय लैब संचालित है। जिसमें फर्म पी0ओ0सी0टी0 के उपकरण एवं मानव संसाधन कार्यरत है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में दुग्ध उत्पाद संयंत्र लगाए जाने के सम्बन्ध में

75-श्रीमती अनीता-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत आलापुर में एक दुग्ध उत्पाद संयंत्र लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1588/2018, दिनांक 19-02-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

जी हां।

फैजाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में अम्बेडकरनगर सहित 05 जनपद सम्मिलित हैं। क्षेत्र विशेष में दुग्ध सहकारिताओं द्वारा उपार्जित दुग्ध हेतु जनपद फैजाबाद में 50 हजार लीटर क्षमता की डेयरी कार्यरत है। वर्तमान में यहां लगभग 20 हजार लीटर दुग्ध प्रसंस्कृत किया जा रहा है, संयंत्र की क्षमता का 40 प्रतिशत है। अस्तु अतिरिक्त प्रसंस्करण क्षमता शेष है। इसके आलोक में अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में दुग्ध उत्पाद संयंत्र स्थापित करने का औचित्य/आधार नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री राकेश प्रताप सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

बस्ती व गोरखपुर मण्डल में जे0ई0-ए0ई0एस0 बीमारी की रोकथाम के सम्बन्ध में

77-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती व गोरखपुर मण्डल में जे0ई0-ए0ई0एस0 बीमारी की रोकथाम के लिये सरकार कोई कारगर नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

कार्य योजना-2018 तैयार कर जनपदों एवं सहयोगी विभागों को कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है। जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) तथा अधिवर्षता तिथि के उपरान्त पेंशन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में

78-डॉ0 अरुण कुमार-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2018 के तृतीय सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-58 के उत्तर के क्रम में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने की तिथि के पश्चात् पेंशन की परिलब्धियां क्या और कब तक रहेगी ? क्या सरकार असाधारण पेंशन नियमावली सं0 स-3-1863-दस-926-81, दिनांक 28-12-81 के प्रस्तर सं0-10 पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये सेवानिवृत्ति की तिथि तक वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) एवं अधिवर्षता तिथि के उपरान्त 50 प्रतिशत की दर से पेंशन निर्धारित किये जाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

मृतक की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने की तिथि के पश्चात् पारिवारिक पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी, जो मृत कर्मचारी, यदि उसकी मृत्यु न हुई होती, निम्नलिखित उपधारणाओं के अधीन रहते हुए, तत्समय प्रयोज्य साधारण पेंशन नियमों के अनुसार लेता :--

(1) मृत कर्मचारी अधिवर्षता के दिनांक तक अर्हकारी सेवा करता रहता और उसे कोई पदोन्नति नहीं मिली थी।

(2) यदि मृत कर्मचारी अस्थाई या स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, तो उसके स्थायीकरण के सम्भावव्य दिनांक की उपधारणा कर ली जायेगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, मृतक की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक असाधारण पेंशन के रूप में वह धनराशि अनुमन्य है, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे

वेतन के रूप में अनुमन्य थी। यह धनराशि असाधारण पेंशन नियमावली-1981 के नियम-10 में दी गयी उपधारणाओं के अधीन है जिसमें प्रथम उपधारणा मृतक की मृत्यु के उपरान्त, सेवानिवृत्ति की तिथि तक कोई पदोन्नति प्राप्त न होने की है। अतः कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ नियमावली में अनुमन्य नहीं है। ज्ञातव्य है कि अधिवर्षता की तिथि के उपरान्त असाधारण पेंशन के मामलो में, अंतिम परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था पूर्व से ही नियमों में विद्यमान है। यह व्यवस्था केन्द्र सरकार के नियमों के अनुरूप है। केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में इस व्यवस्था में परिवर्तन किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत रामनगर एवं जहांगीरगंज बाजारों में उत्कृष्ट महिला एवं प्रसूति विभाग की स्थापना करने के सम्बन्ध में

79-श्रीमती अनीता-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र-279 आलापुर अन्तर्गत रामनगर एवं जहांगीरगंज बाजारों में उत्कृष्ट महिला एवं प्रसूति विभाग की स्थापना करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग-6/089355 दिनांक 30-01-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकर नगर द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 विधायक, 279 विधान सभा क्षेत्र, आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत रामनगर व जहांगीरगंज कस्बा में उत्कृष्ठ महिला एवं प्रसूति विभाग के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-मु0चि0अ0/जनसुनवाई/2017-18/13769, दिनांक 07-02-2018 के द्वारा श्रीमती अनीता कमल, मा0 विधायक विधान सभा क्षेत्र-279 आलापुर, अम्बेडकरनगर को अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में पी0आई0सी0यू0 वार्ड संचालित कराने एवं मशीनों के लिए किट मुहैया कराने विषयक

80-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में पी0आई0सी0यू0 वार्ड में एबीजी मशीन लगाई गई है परन्तु किट के अभाव में मशीन बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मशीन के लिये किट की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्साल कैली में पी0आई0सी0यू0 वार्ड में एबीजी मशीन के लिए किट उपलब्ध है तथा मशीन क्रियाशील है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सी0एच0सी0 तिलहर तथा सी0एच0सी0 खुदागंज में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में

81-प्रिंस, वीर विक्रम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0एच0सी0 तिलहर तथा सी0एच0सी0 खुदागंज जनपद शाहजहांपुर में व्यापक भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चिकित्सा अधीक्षक खुदागंज तथा सी0एच0सी0 खुदागंज को रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 27-04-2018 को प्रश्नकर्ता का पत्र भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। 'प्रिंस' वीर विक्रम सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा का दिनांक 27-04-2018 का कोई शिकायती-पत्र सी0एच0सी0 तिलहर तथा सी0एच0सी0 खुदागंज, जनपद शाहजहांपुर पर पंजीकृत डाक से प्राप्त नहीं हुआ है।

उक्त पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में आयुर्वेदिक एवं यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सालय को किराये के भवन से सरकारी भवन में शिफ्ट कराने विषयक

82-प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी होम्योपैथिक चिकित्सालय जो किराये के भवन में चल रहे हैं, उन्हें सरकार ने चिकित्सालय भवन में चलाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां तो क्या जनपद शाहजहांपुर के जिला होम्योपैथिक अधिकारी एवं जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी ने अपने सभी अधीनस्थ चिकित्सालयों को सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। शासनादेश दिनांक 29-11-2017 द्वारा किराये के भवनों में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों को निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर में 13 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय जो किराये के भवन में संचालित थे, को मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। जनपद शाहजहांपुर में 32 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो किराये के भवन में संचालित थे, में से 29 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को मुख्य चिकित्साधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के परिसर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। शेष 03 चिकित्सालय को स्थानान्तरित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

जनपद शाहजहांपुर में 01 राजकीय यूनानी चिकित्सालय जो किराये के भवन में संचालित था, को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमहरिया में स्थान्तरित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गन्ना किसानों के परिजनों को सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा सहकारी चीनी मिल समितियों के माध्यम से आयुष चिकित्सालयों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

83-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के परिजनों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा आयुष चिकित्सालयों द्वारा सहकारी गन्ना विकास समितियों तथा सहकारी चीनी मिल समितियों के माध्यम से प्रारम्भ करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त अभिनव कल्याणकारी योजना का क्रियान्वयन कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में आयुष चिकित्सकों की भारी कमी होने के कारण इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

जनपद बस्ती में विधान सभा क्षेत्र रुधौली के ग्राम पंचायत लोढ़वा में प्रस्तावित शिव मन्दिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में

84-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम पंचायत लोढवा में सरकार द्वारा प्रस्तावित शिव मन्दिर व ग्राम पंचायत भानपुर में समय माता बैडवा मन्दिर भानपुर (जोगिया) को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-6 नं0 160575 दिनांक 18-5-2018 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मा0 सदस्य द्वारा प्रश्न में उल्लिखित पत्र सं0-क-6 नं0-160575, दिनांक 18-5-2018 विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु इस विषय में मा0 सदस्य का पत्र सं0-क-6 नं0-180582, दिनांक 11-5-2018 तथा पत्र सं0-क-6 नं0-180578, दिनांक 18-5-2018 विभाग में प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य के पत्र में उल्लिखित विषय पर महानिदेशक, पर्यटन से 04 जुलाई, 2018 को आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार बैड़वा समय माता मन्दिर स्थल के विकास के लिए

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्प्रीचुअल सर्किट फेज-3 के अन्तर्गत योजना-प्रस्ताव पर्यटन निदेशालय द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र के जिला संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में महिला व बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने हेतु

85-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र के जिला संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में महिला चिकित्सक व बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती न होने के कारण महिला मरीज व नवजात शिशुओं को अत्याधिक परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक व बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

वर्तमान में जिला संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में 02 महिला चिकित्सक कार्यरत हैं, जो व्यवस्थित प्रकार से महिला मरीजों का इलाज कर रही हैं। महिला मरीजों को चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। बाल रोग विशेषज्ञ का पद वर्तमान में रिक्त है।

जी हां।

बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती उपलब्धता/योग्यता के आधार पर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

86-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? क्या सरकार बतायेगी कि संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने चिकित्सक किस-किस विभाग में तैनात है ? क्या सरकार उनका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी नहीं।

प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने का वर्तमान में कोई प्राविधान नहीं है।

संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत चिकित्सकों की सूचना :--

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पद वर्ष 2005	कार्यरत पद
1	2	3	4
1	सर्जन	01	-
2	फिजीशियन	01	-
3	बाल रोग विशेषज्ञ	01	-
4	स्त्री रोग विशेषज्ञ	02	-
5	एनेस्थिटिक	01	01
6	नेत्र रोग विशेषज्ञ	01	-
7	रेडियोलॉजिस्ट	01	-
8	पैथालॉजिस्ट	01	-
9	दन्त रोग विशेषज्ञ	02	-
10	जी0डी0एम0ओ0	02	02
11	ई0एम0ओ0	02	01
12	एम0ओ0डी0वी0डी	01	-
13	अस्थि रोग विशेषज्ञ	01	-
	योगः-	17	04

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु

87-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम राम दास पुरा प्राथमिक स्वा0 केन्द्र का ग्राम स्वास्थ्य भवन तैयार है किन्तु स्टाफ एवं उपकरण न होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामु0 स्वा0 केन्द्र पर स्टाफ एवं उपकरण की

व्यवस्था कराकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

ग्राम रामदासपुर उपकेन्द्र है। उपकेन्द्र पर केवल एक ए0एन0एम0 की तैनाती होती है, जिस पर श्रीमती गायत्री देवी कार्यरत हैं, जो टीककरण कार्य करती हैं। वहां पर अधिकांश उपकरण उपलब्ध हैं, जो कमी है उसे पूर्ण कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में गैर पंजीकृत नर्सिंग होम के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु

88-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र में गैर पंजीकृत नर्सिंग होम के खिलाफ अभियान चलाकर कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कितने नर्सिंग होम के खिलाफ कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकोहाबाद विधान सभा क्षेत्र में कोई भी नर्सिंग होम गैर पंजीकृत नहीं है तथा न ही कोई गैर पंजीकृत नर्सिंग होम संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक व बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करने विषयक

89-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र के शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में महिला चिकित्सक व बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती न होने के कारण महिला मरीज व नवजात शिशुओं को अत्यधिक परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में महिला चिकित्सक व बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

वर्तमान में जिला संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में 02 महिला चिकित्सक कार्यरत हैं, जो व्यवस्थित प्रकार से महिला मरीजों का इलाज कर रही हैं। महिला मरीजों को चिकित्सालय में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है। बाल रोग विशषज्ञ का पद वर्तमान में रिक्त है।

जी हां।

बाल रोग विषेषज्ञ की तैनाती उपलब्धता/योग्यता के आधार पर की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में रिक्त पदों के सम्बन्ध में

90-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद रिक्त हैं व कितने समय से ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-6 नं0-102208 दिनांक 04-05-2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जिला संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद में चिकित्सकों के कुल 17 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 13 पद रिक्त हैं। कुल रिक्त 13 पदों में से 02 पद 02 वर्ष से, 02 पद 03 वर्ष से, 02 पद 02 वर्ष से व 07 पद सृजित होने की तिथि से रिक्त हैं।

जी हां।

चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा गया है। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर रिक्तियों को देखते हुए यथासम्भव उपलब्धता के आधार पर चिकित्साधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अभिलेखानुसार उक्त पत्र विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्थापित समस्त ए0एन0एम0 सेन्टर के जर्जर भवनों की मरम्मत के सम्बन्ध में

91-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवार कल्याण एवं मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्थापित किये गये समस्त ए0एन0एम0 सेन्टर के भवन जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण हैं जिसके कारण कोई भी कर्मचारी सेन्टर के भवन में बैठता नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार ए0एन0एम0 सेन्टरों के जर्जर भवन की मरम्मत कराकर कर्मचारियों के बैठने के योग्य बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी नहीं।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में स्थापित किये गये कुछ एक ए0एन0एम0 सेन्टर के भवन ही जर्जर हैं सभी उपकेन्द्रों पर तैनात ए0एन0एम0 नियमित रूप से उपस्थित रह कर आम जनता को आवश्यक सेवायें उपलब्ध करा रही हैं।

राजकीय भवनों में स्थित ए0एन0एम0 सेन्टरों के सेन्टर के जर्जर भवन की मरम्मत योग्य भवनों के मरम्मत एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता न होने के उत्तरदायी अधिकृत फर्म के खिलाफ कार्यवाही विषयक

92-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशालय द्वारा अधिकृत फर्मों द्वारा दवाओं की आपूर्ति न करने के कारण प्रदेश के चिकित्सालयों में दवाओं की शत प्रतिशत उपलब्धता नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन फर्मों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। प्रदेश के सभी चिकित्सा इकाइयों पर औषधियां निरन्तर उपलब्ध करायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद में तैनात डाक्टर एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों पर तैनाती के सम्बन्ध में

93-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को चिकित्सालय में तैनात करने तथा अन्य चिकित्सकों को सामु0 स्वा0 केन्द्र/प्राथ0 स्वा0 केन्द्र पर तैनाती करने का नियम है ? यदि हां, तो संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद में कितने डाक्टर तैनात है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती चिकित्सालयों में स्वीकृत विशेषज्ञ पदों के सापेक्ष उनकी विशेषज्ञता के आधार पर की जाती है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती विशेषज्ञ पदों के सापेक्ष की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर सामान्य चिकित्सक तैनात किये जाते हैं।

संयुक्त चिकित्सालय, शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद में 04 चिकित्सक तैनात हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों को मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता व मकान भत्ता आदि दिये जाने हेतु

94-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियमित कर्मचारियों की भांति मूलवेतन पर महंगाई भत्ता, मकान भत्ता व अन्य भत्तों का लाभ प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी

सरकार प्रदान करेगी ? यदि हां, तो उक्त योजना का लाभ कब तक दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संविदा कर्मियों की प्रास्थिति नियमित राज्य कर्मचारियों के समान नहीं होती है, न ही इनकी भर्ती की विधि नियमित कर्मचारियों के समान होती है। सामान्यतः संविदा कर्मी अल्प अवधि के कार्यों के लिये रखे जाते हैं और समयावधि पूर्ण होने के पश्चात् इनकी सेवायें समाप्त हो जाती हैं। पूर्णकालिक राज्य कर्मियों से भिन्न कर्मी यथा संविदा कर्मी, नियत वेतन एवं सेवा प्रदाता के माध्यम से सम्बद्ध कर्मियों को राज्य कर्मियों के समान समस्त लाभ देने का औचित्य नहीं है।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां एवं विकास खण्ड दीनशाह गौर में निर्मित प्रा0स्वा0 केन्द्र में मानक के अनुरूप स्टाफ की तैनाती विषयक

95-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के रोहनियां एवं विकास खण्ड दीनशाह गौर में नवनिर्मित प्रा0 स्वा0 केन्द्र जो विगत तीन वर्षों से बनकर तैयार है, में मरीजों को भर्ती करने एवं उनके इलाज के लिये वांछित मानक के अनुरूप स्टाफ की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहनियां एवं दीनशाह गौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है।

दोनों ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का हस्तान्तरण हो चुका है एवं मानक के अनुसार दोनों ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदों का सृजन किया जा चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहनियां में चिकित्सकों के 05 सृजित पदों के सापेक्ष 02 चिकित्साधिकारी तैनात हैं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दीनशाह गौरा में चिकित्सकों के 05 सृजित पदों के सापेक्ष 05 चिकित्साधिकारी तैनात हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर की ग्राम सभा रोझइया के झामपुर में निर्मित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक नियुक्त कराने विषयक

96-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर की ग्राम सभा रोझईया के झामपुर में निर्मित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर की ग्राम सभा रोझईया के झामपुर में कोई राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित नहीं है परन्तु विकास खण्ड जगतपुर में केवल एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सुदामापुर में स्थापित है।

उक्त चिकित्सालय में स्वीकृत 01 आयुर्वेद चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है। कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय नायन, रायबरेली में पदस्थ आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी को सप्ताह में 02 दिन उक्त चिकित्सालय में रोगियों का उपचार करने हेतु सम्बद्ध किया गया है।

विभाग में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत 2222 पदों के सापेक्ष मात्र 1103 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं तथा 1119 पद रिक्त हैं, जिन पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा की जा रही है।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद से चयन की संस्तुति होने पर उक्त चिकित्सालय में नियमित चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्रेड-पे 2800 से 4200 किये जाने की मांग

97-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-9रा0/17-7/3/2016-सीएक्स-4, दिनांक 8 फरवरी, 2017 शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 एवं शासनादेश सं0-65/2016/वे0आ0-2-1442/दस-04(एम)/2016, दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 के अनुक्रम में राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या-जी-630/जी0एम0, दिनांक 9 फरवरी, 2018 के अनुरूप प्रदेश के अन्य समकक्ष सचिवालयों में कार्यरत समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2016 को जिन्हें ग्रेड-पे 2800/- प्राप्त है को ग्रेड-पे 4200/-उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ के कार्यालय आदेश संख्या-जी-1452/जी0एस0, दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-जी-630/जी0एस0, दिनांक 09 फरवरी, 2018 निरस्त किया जा चुका है।

शासन द्वारा नामित विशिष्ट इकाई कार्डियोलाजी, न्यूरोलॉजी, ई0एन0टी0 में एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सकों के सम्बन्ध में

98-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4666/चिकित्सा-4, दिनांक 10-07-1992 के निर्देशानुसार शासन द्वारा नामित विशिष्ट इकाई कार्डियोलाजी, न्यूरोलॉजी, ई0एन0टी0 में एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त अनुबन्ध के अनुरूप कितने डाक्टर अपने सेवायें दे रहें हैं तथा कितने डाक्टर सेवायें नहीं दे रहे हैं क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी क्या सरकार अनुबन्ध के अनुरूप सेवायें नहीं देने वाले विशिष्ट इकाई चिकित्सकों से भी उक्त शासनादेश का पालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

उक्त शासनादेश दिनांक 10-07-1992 में प्रशिक्षण प्राप्त मात्र 02 चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में उल्लेख है। उनमें से डा0 अनिल कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ परार्मशदाता (फिजीशिन) कार्डियोलॉजी विभाग डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में सेवारत हैं तथा डा0 अशोक कुमार गंगवार, मुख्य परामर्शदाता, (ई0 एन0 टी0 सर्जन) उक्त चिकित्सालय से दिनांक 30-09-2012 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विश्वविख्यात धर्मस्थल नैमिषारण्य के विकास हेतु पर्यटन विभाग की कार्य योजना विषयक

99-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विश्व विख्यात धर्मस्थल नैमिषारण्य, जनपद-सीतापुर के विकास हेतु पर्यटन विभाग की क्या योजनायें हैं ? क्या सरकार विशेष पैकेज देकर इस धार्मिक स्थल का विकास करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

नैमिषारण्य जनपद-सीतापुर स्थित पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन स्कीम की स्प्रिचुअल सर्किट के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है :--

1-सतरूपा एवं अयोध्या धाम का पर्यटन विकास-रु0 56.63 लाख।

2-दधीचि आश्रम का पर्यटन विकास- रु0 44.88 लाख।

3-चक्रतीर्थ का पर्यटन विकास- रु0 36.65 लाख।

4-देवपुरी का पर्यटन विकास- रु0 29.43 लाख।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नैमिषारण्य स्थित देव देवेश्वर एवं करैना के पर्यटन स्थलों के विकास कार्य हेतु रु0 488.19 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है।

जनपद बस्ती के जिला अस्पताल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने विषयक

100-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालयों में स्वीकृत 249 डाक्टरों के पद के सापेक्ष मात्र 94 डाक्टर ही तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त 155 पदों पर डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान समय में जनपद बस्ती में जिला एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :--

यूनिट का नाम	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
अधीन मु0चि0अ0, बस्ती	चिकित्साधिकारी संवर्ग	165	96	69
जि0चि0, बस्ती	तदैव	56	32	24
ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती	तदैव	47	17	30
वी0रा0त0कु0 जिला महिला चिकित्सालय, बस्ती	तदैव	15	08	07
जिला क्षयरोग चिकित्सालय, बस्ती	तदैव	05	02	03
	योगः-	**288**	**155**	**133**

उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के नगर पालिका परिषद् में ब्लड बैंक स्थापित कराने विषयक

101-सुश्री अदिति सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली का जिला मुख्यालय रायबरेली शहर जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद् भी है, में एक भी

ब्लड बैंक नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला मुख्यालय रायबरेली पर ब्लड बैंक की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

नगर पालिका परिषद्, रायबरेली के मुख्यालय पर स्थापित जिला पुरुष चिकित्सालय, रायबरेली में ब्लड बैंक स्थापित है, जिसका संचालन सुचारु रूप से किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के इसौटा ग्राम सभा में प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने विषयक

102-श्री संजय गर्ग-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के ग्राम सभा इसौटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने से वहां रह रहे लोगों को लगभग 15 किमी0 दूर इलाज के लिये जाना पड़ता है और महिलाओं को प्रसव के लिये भी कोई इन्तजाम न होने से वहां की गरीब जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम इसौटा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना के ग्राम सभा इसौटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धरवारा की दूरी मात्र 02 कि0मी0 है। जहां से 05 कि0मी0 की परिधि में रोगी चिकित्सा उपचार एवं प्रसव हेतु आते हैं। मानक के अनुसार 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मध्य न्यूनतम 05 कि0मी0 की दूरी एवं 30,000 लाभान्वित होने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। अतः मरीजों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के ठाकुरगंज चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त कराने के सम्बन्ध में

103-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद दिसम्बर, 2016 में सृजित किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त पद पर अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार तत्काल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-155/2015/1186/पांच-6-15-5(56)/10, दिनांक 03-07-2015 द्वारा टी0बी0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ को 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ के रूप में संचालित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1294/सेक-2-पांच-16-4(70)/2016, दिनांक 20-05-2016 द्वारा डा0 आनन्द बौध, वरिष्ठ परार्मशदाता, टी0बी0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, टी0बी0 चिकित्सालय, ठाकुरगंज, लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र औरैया में आगरा-कानपुर 6 लेन हाइ-वे पर ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराने विषयक

104-श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया में विधान सभा क्षेत्र औरैया के आगरा-कानपुर 6 लेन हाई-वे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं तथा अन्य गम्भीर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये ट्रामा सेंटर की स्थापना सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

जनपद मुख्यालय इटावा एवं कानपुर देहात में ट्रामा सेन्टर निर्मित है, जिनसे औरैया की दूरी क्रमशः 50 कि0मी0 एवं 60 कि0मी0 है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद संतकबीरनगर के आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेंहदावल के दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2016 तक के संशोधित किराये के अन्तर की धनराशि रुपया 1796/-प्रतिमाह के प्रस्ताव प्राप्त कर उक्त धनराशि का भुगतान भवन स्वामी को किये जाने के सम्बन्ध में

105-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित मा0 सदस्य श्री संजय गर्ग द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-157 के उत्तर के क्रम में क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेंहदावल, जनपद संतकबीरनगर के

दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2016 तक के संशोधित किराये के अन्तर की धनराशि रुपया 1796/- प्रतिमाह के प्रस्ताव प्राप्त कर उक्त धनराशि का भुगतान भवन स्वामी को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मेंहदावल, संतकबीरनगर श्री छोटेलाल गुप्ता के भवन में दिनांक 01-04-2006 से संचालित है। भवनपति द्वारा किराया वृद्धि का प्रत्यावेदन दिया गया था। भवनपति के प्रत्यावेदन के आधार पर कार्यालय क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बस्ती के पत्र दिनांक 10-09-2013 द्वारा जिलाधिकारी, संतकबीरनगर द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण-पत्र, भवन का मानचित्र ब्लूप्रिंट में तथा अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित कारपेट एरिया का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। पुनः क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती का पत्र दिनांक 08-12-2017 भवनपति को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया था। पंजीकृत पत्र इस आशय से वापस आ गया कि प्राप्तकर्ता बाहर रहते हैं। पुनः क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, बस्ती का पत्र दिनांक 09-03-2018 भवनपति को पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है। किन्तु भवनपति द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण संदर्भित चिकित्सालय के किराया वृद्धि के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

प्रदेश में जी0एस0टी0 काउन्सिल में विधायक निधि से जी0एस0टी0 हटाये जाने विषयक

106-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में क्षेत्रीय विकास निधि से कराये जा रहे कार्यों पर जी0एस0टी0 लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जी0एस0टी0 काउन्सिल में क्षेत्रीय विकास निधि से जी0एस0टी0 हटाये जाने का अनुरोध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत वस्तुओं या सेवाओं अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई पर जी0एस0टी0 की देयता निर्धारित की गयी है। क्षेत्रीय विकास निधि द्वारा कराये जा रहे कार्य की प्रकृति पर जी0एस0टी0 की देयता निर्भर करती है। यदि क्षेत्रीय विकास निधि से कराये जा रहे किसी विशिष्ट कार्य को किसी विज्ञप्ति से करमुक्त नहीं किया गया है तो ऐसे कार्य पर जी0एस0टी0 की देयता है। पूर्व में भी इन कार्यों में अन्तरित वस्तुओं पर वैट एवं केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क की देयता थी। अतः इन्हें जी0एस0टी0 में करमुक्त किये जाने का औचित्य नहीं है।

107-श्री सुनील कुमार शर्मा-

[01 बुद्धवार के अता0प्र0सं0-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर के जमानियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घाटों के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में

108-श्रीमती सुनीता-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के जमानियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दैत्रावीर बाबा जीवपुर, रघुनाथपुर घाट एवं चन्द्रशेखर जी अमौरा घाट हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि ही अवमुक्त किये जाने के कारण सिंचाई विभाग द्वारा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त घाटों के अधूरा निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष राशि कब तक अवमुक्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद गाजीपुर के जमानियां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दैत्रावीर बाबा जीवपुर, रघुनाथपुर घाट एवं चन्द्रशेखर जी अमौरा घाट के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष 2015-16 में जीवपुर रघुनाथपुर में गंगा के बायें तट पर गंगा आश्रम के निकट घाट का निर्माण एवं स्थल विकास हेतु रु0 150.23 लाख के सापेक्ष रु0 75.11 लाख अवमुक्त किया गया है।

वर्ष 2016-17 में कर्मनाशा नदी के बायें तट पर अमौरा घाट के निर्माण हेतु रु0 158.50 लाख की योजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रु0 79.25 लाख एवं रु0 39.62 लाख अर्थात कुल रु0 118.87 लाख में से रु0 79.25 लाख के सापेक्ष कार्य कराया गया है।

वर्ष 2016-17 में जमानियां में गंगा नदी के बांये तट पर बड़ेसर में दैत्रावीर बाबा घाट का निर्माण एवं स्थल का पर्यटन विकास हेतु स्वीकृति रु0 499.66 लाख के सापेक्ष रु0 249.83 लाख अवमुक्त किया गया है।

उक्त योजनाओं हेतु अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के विभागीय बजट के योजना मद में धनराशि उपलब्ध होने पर अवमुक्त किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रदेश में गुजरात एवं महाराष्ट्र की भांति डीजल तथा पेट्रोल के मूल्यों में कमी के सम्बन्ध में

109-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात तथा महाराष्ट्र के प्रदेश सरकारों की भांति प्रदेश सरकार में भी डीजल तथा पेट्रोल की मूल्यों की (बेस प्राइस) कमी कर वैट में कटौती पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

डीजल तथा पेट्रोल की मूल्यों की (बेस प्राइस) कमी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों से बिक्री पर वैट के मद में उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होने वाला राजस्व जी0एस0टी0/वैट के मद में प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का लगभग 30 प्रतिशत है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में डीजल में कर की दर 17.48 प्रतिशत अथवा रु0 9.41 (जो भी अधिक हो) तथा पेट्रोल पर कर की दर 26.80 प्रतिशत अथवा रु0 16.74 (जो भी अधिक हो) है। दिनांक 21-08-2018 को पेट्रोल व डीजल की कीमत निम्नवत् है :--

	पेट्रोल	**डीजल**
Basic Price per Ltr.	58.10	57.06
Tax Amount (Rs)	16.74	9.97
Dealers Margin (Rs)	3.31	2.20
Consumer Price per Ltr.(Rs)	78.15	69.23

दिनांक 21-08-2018 को विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल का खुदरा मूल्य निम्नवत् है :--

क्र0सं0	**राज्य का नाम**	**पेट्रोल**	**डीजल**
		मूल्य प्रति लीटर (रु0 में)	**मूल्य प्रति लीटर (रु0 में)**
1	उत्तर प्रदेश	78.15	69.24
2	बिहार	83.66	74.52
3	झारखण्ड	77.45	73.11
4	दिल्ली	77.63	69.15
5	पंजाब	82.84	68.99

6	मध्य प्रदेश	63.30	72.83
7	महाराष्ट्र	85.05	73.41
8	गुजरात	76.99	74.37
9	पश्चिम बंगाल	80.57	71.99
10	तेलगांना	82.30	75.22
11	तमिलनाडु	80.64	73.04
12	राजस्थान	80.09	73.69
13	उत्तराखण्ड	78.79	69.57
14	आन्ध्र प्रदेश	83.34	75.94

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल का प्रति लीटर मूल्य बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं आन्ध्र प्रदेश तथा डीजल का प्रति लीटर मूल्य बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड एवं आन्ध्र प्रदेश से कम है।

अतः राज्य के विकास योजनाओं के लिये वित्तीय संसाधन जुटाने की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में डीजल और पेट्रोल पर वैट की दरों में कमी किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के जिला मुख्यालय पर स्थित जिला अस्पतालों में नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता सम्बन्धी

110-श्री नाहिद हसन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला मुख्यालय पर स्थित जिला अस्पतालों में रोगियों को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कितने प्रकार के नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता होना आवश्यक है ? क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुख्यालय शामली में स्थित अस्पताल में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि नैदानिक उपकरणों के क्रय हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिला अस्पताल शामली में एक्स-रे मशीन, ईसीजी मशीन, फोटोस्टेट मशीन व अन्य आवश्यक नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मानक निर्धारित न होने के कारण चिकित्सालयों की मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

जिला मुख्यालय शामली में जिला चिकित्सालय हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विशेषता नैदानिक उपकरणों के क्रय हेतु बजट का आवंटन नहीं किया गया है।

जनपद शामली में जिला चिकित्सालय का कार्य निर्माणाधीन है। 50 प्रतिशत निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् उपकरण की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वामी कल्याण देव राजकीय जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में डायलिसिस यूनिट को चालू करवाने विषयक

111-श्री नाहिद हसन-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी कल्याण देव राजकीय जिला चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में पूर्व में स्थापित डायलिसिस यूनिट को कब तक चालू कर दिया जाएगा ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

दिनांक 15-05-2018 से जिला (पुरूष) चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में डायलिसिस यूनिट सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

112-श्री अमिताभ बाजपेयी-

[01 मंगलवार के अता0प्र0सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सेवानिवृत्ति की तिथि तक वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) एवं अधिवर्षता तिथि के उपरान्त 50 प्रतिशत की दर से पेंशन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में

113-डॉ0 अरुण कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा जारी असाधारण पेंशन नियमावली सं0-सा-3-1863/ दस-926-81, दिनांक 28-12-81 के प्रस्तर सं0-10 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि तक वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) एवं अधिवर्षता तिथि के उपरान्त 50 प्रतिशत की दर से पेंशन निर्धारण किये जाने पर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

जी नहीं।

मृतक की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक असाधारण पेंशन के रूप में यह धनराशि अनुमन्य है, जो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे वेतन के रूप में अनुमन्य थी। यह धनराशि असाधारण पेंशन नियमावली-1981 के नियम-10 में दी गयी उपधारणाओं के अधीन है

जिसमें प्रथम उपधारणा मृतक की मृत्यु के उपरान्त, सेवानिवृत्ति की तिथि तक कोई पदोन्नति प्राप्त न होने की है। अतः कार्मिक की मृत्यु के उपरान्त, सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन का लाभ नियमावली में अनुमन्य नहीं है। ज्ञातव्य है कि अधिवर्षता की तिथि के उपरान्त असाधारण पेंशन के मामलों में, अन्तिम परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था पूर्व से ही नियमों में विद्यमान है। यह व्यवस्था केन्द्र सरकार के नियमों के अनुरूप है।

जनपद बस्ती के सरकारी अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था विषयक

114-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सरकारी अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन व्यवस्था नहीं होने के कारण कूड़ा निस्तारण व्यवस्था नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था जनपद बस्ती के सरकारी अस्पतालों में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। जनपद बस्ती के सरकारी अस्पतालों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के सीएचसी बिलारी में मरीजों के समानुपातिक क्रम में डाक्टरों की तैनाती के सम्बन्ध में

115-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीएचसी बिलारी, जिला-मुरादाबाद में दवाई लेने आने वाले मरीजों की संख्या के दृष्टिगत जिला अस्पताल मुरादाबाद के समानुपातिक क्रम में डाक्टरों की तैनाती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जनपद मुरादाबाद में बिलारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक (बाल रोग विशेषज्ञ) एवं सामान्य महिला चिकित्सक कार्यरत हैं।

रिक्त पदों के सापेक्ष तैनाती चिकित्सकों की उपलब्धता के अनुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर स्थित बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय में स्वीकृत पदों पर तैनाती किये जाने विषयक

116-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर स्थित बाबू बनारसी दास जिला चिकित्सालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष सर्जन, फिजिशियन, हृदय रोग

विशेषज्ञ व अन्य अनुमन्य स्टाफ की तैनाती किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-ख-6/352695, दिनांक 12-06-2018 पर मुख्य मंत्री का आदेश संख्या-18157180136082 प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

चिकित्सकों की योग्यता एवं उपलब्धता के अनुसार तैनाती किये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर स्थित मोतीबाग में सटे गोपीमल नेत्र चिकित्सालय को पुनः चलाये जाने विषयक

117-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर स्थित मोतीबाग में सटे गोपीमल नेत्र चिकित्सालय जो कि वर्ष 1968 से फरवरी, 2015 तक पूर्ण रूप से चलता रहा है उसे पुनः चलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-क-6/020339, दिनांक 25-04-2018 पर मुख्य मंत्री का आदेश संख्या-18157180106446, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रकरण में जाचोंपरान्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-1674/पांच-6-18-24(जी0)/18, दिनांक 16-07-2018 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में स्थित सम्राट अशोक स्तम्भ, भितरी का पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण करने विषयक

118-श्री सुभाष पासी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक स्थल सम्राट अशोक स्तम्भ (लाट) भितरी में स्थित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल का पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में सम्राट अशोक का स्तम्भ (लाट) स्थित नहीं है, अपितु यहां पर गुप्तवंश के शासक स्कन्दगुप्त का भितरी स्तम्भ लेख अवस्थित है, जिस

पर गुप्तकालीन अभिलेख ब्राम्ही लिपि में अंकित है तथा यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा संरक्षित है।

जनपद गाजीपुर के तहसील सैदपुर के ग्राम रामपुर मांझो, मुड़ियार व सैदपुर के धर्मस्थलों के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में

119-श्री सुभाष पासी-

क्या धमार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर तहसील में ग्राम सभा रामपुर माझों में बाबा किनाराम मठ तथा मुडियार में भी बाबा किनाराम मठ व सैदपुर नगर में बूढ़े महादेव बाबा का मन्दिर है ? क्या सरकार उक्त धर्म स्थलों का सौन्दर्यीकरण व ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बिजनौर के नगीना के हैन्डिक्राफ्ट कारोबारियों को जी0एस0टी0 से निजात दिलाने के सम्बन्ध में

120-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के हैन्डिक्राफ्ट कारोबारियों को जी0एस0टी0 से निजात दिलाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर की दरों में कमी अथवा किसी वस्तु को कर मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में संस्तुति करने का अधिकार जी0एस0टी0 काउंसिल में निहित है। यह संवैधानिक व्यवस्था है। सभी राज्य, सभी केन्द्रशासित प्रदेश तथा केन्द्र जी0एस0टी0 काउंसिल के सदस्य हैं। जी0एस0टी0 व्यवस्था में पंजीयन की न्यूनतम टर्नओवर रु0 20 लाख वार्षिक रखी गयी है। इसके अतिरिक्त जी0एस0टी0 व्यवस्था में रु0 1 करोड़ तक की टर्नओवर के व्यापारियों के लिए अति सरल समाधान योजना भी लागू है। इस योजना के तहत कुल टर्नओवर पर केवल 1 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की देयता है। स्पष्ट है कि ऐसे छोटे बुनकर, जिनकी कुल वार्षिक टर्नओवर रु0 20 लाख तक है, उन्हें जी0एस0टी0 में पंजीयन लेने की आवययकता नहीं है तथा ऐसे मंझोले श्रेणी के बुनकर, जिनकी वार्षिक टर्नओवर रु0 1 करोड़ तक है, वे समाधान योजना का विकल्प अपना कर केवल 1 प्रतिशत जी0एस0टी0 देने का विकल्प चुन सकते हैं।

प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में जन्म से होठ कटे बच्चों के निःशुल्क इलाज विषयक

121-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0) के अन्तर्गत जन्म से होठ कटे

बच्चों के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि स्वास्थ्य कर्मियों तथा आशा आगंनबाड़ी कार्यकत्री आदि के असहयोग के कारण राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का सफल संचालन नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्वास्थ्य कर्मियों, आशाबहू, आंगनबाड़ी कार्य कत्रियों के द्वारा कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश जारी कराकर कार्यक्रम को सफल बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री का कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 के होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग में रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में

122-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग में रिक्त अपर निदेशक, सयुंक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति किये जाने हेतु कतिपय उप निदेशक, होम्योपैथी का संयुक्त पत्र शासन को मई/जून, 2018 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 के प्राविधानुसार अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पदों पर पदोन्नति हेतु कोई भी अभ्यर्थी पात्रता परिधि में नहीं आता है। फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या-एम0एस0-111-96-आयुष-2-2018-158/2016टी0सी0, दिनांक 10 जुलाई, 2018 द्वारा वरिष्ठता के आधार पर होम्योपैथिक निदेशालय में कार्यरत एक उप निदेशक को कार्यवाहक अपर निदेशक (चिकित्सा) तथा दो उप निदेशकों को कार्यवाहक संयुक्त निदेशक के प्रभार दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में संविदा शिक्षकों की भर्ती में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में

123-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवदत्त त्रिपाठी पुत्र श्री कटेस्वर त्रिपाठी निवासी फैजाबाद का शिकायती-पत्र दिनांक 23-04-2018 जो कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में संविदा शिक्षकों की भर्ती में व्याप्त अनियमितता के सम्बन्ध में है, सचिव आयुष, उत्तर प्रदेश शासन का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

कार्मिक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-13/1-97-का-1/1997, दिनांक 09 मई, 1997 में दी गई व्यवस्थानुसार उक्त शिकायती-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं है।

कार्मिक अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-13/1-97-का-1/1997, दिनांक 9 मई, 1977 में शिकायतकर्ता से शिकायतों के सम्बन्ध में प्रतिशपथ-पत्र तथा शिकायतों की पुष्टि हेतु साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है। शिकायती पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा अपना पता अंकित नहीं किया गया है, फलस्वरूप उससे पत्राचार न होने के कारण उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है।

जनपद बस्ती के वि0ख0 रामनगर के ग्राम भानपुर में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पर चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में

124-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विकास खण्ड रामनगर के ग्राम भानपुर में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में विगत दस वर्षों से किसी चिकित्सक की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भानपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सक की नियुक्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद बस्ती में विकास खण्ड रामनगर के ग्राम भानपुर में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जुलाई, 2012 तक चिकित्साधिकारी कार्यरत थे, जिनके स्थानान्तरण के फलस्वरूप उक्त चिकित्सालय में चिकित्सक का पद रिक्त है। विभाग में चिकित्साधिकारी, आयुर्वेद संवर्ग के कुल स्वीकृत 2222 पदों के सापेक्ष मात्र 1103 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं तथा 1119 चिकित्साधिकारियों के पद वर्तमान में रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पैड़ा खरहरा, बस्ती में पदस्थ आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी को सप्ताह में 02 दिन उक्त चिकित्सालय में रोगियों का उपचार करने हेतु सम्बद्ध किया गया है।

विभाग में रिक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के 1119 पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा की जा रही है।

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद से चयन की संस्तुति प्राप्त होने पर उक्त चिकित्सालय में नियमित चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 विधान सभा में संचालित आयुर्वेदिक अस्पताल में लोकल परचेज तथा स्वास्थ्यवर्धक दवाओं की व्यवस्था कराने विषयक

125-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन, लखनऊ में संचालित आयुर्वेदिक अस्पताल में मा0 विधायकों के लिये स्वास्थ्यवर्धक दवाओं की अनुपलब्धता के कारण दवायें बाजार से लेनी पड़ती हैं जबकि पूर्व में मा0 विधायकों को उनकी मांग के अनुसार दवायें

उपलब्ध करा दी जाती थी, आवश्यकता होने पर लोकल परचेज की भी व्यवस्था थी जो अब समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान भवन लखनऊ में संचालित आयुर्वेदिक अस्पताल के लोकल परचेज तथा स्वास्थ्यवर्धक दवाओं की व्यवस्था के लिये बजट में व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। शासनोदश संख्या-3016/71-2-90419/91, दिनांक 28-09-1999 द्वारा 50 आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस शासनादेश में यह भी व्यवस्था की गयी कि उक्त औषधियों के अतिरिक्त अन्य कोई औषधि सामान्य रूप से न तो औषधि निर्माणशाला में निर्मित की जायेगी और न ही उसे बाहर से क्रय किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-1219/96-आयुष-1-2018-189/2018, दिनांक 11-04-2018 द्वारा उपरोक्त 50 आयुर्वेदिक औषधियों के अतिरिक्त अन्य 80, इस प्रकार कुल 130 आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जी नहीं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हेतु आवश्यक औषधि सूची में से आवश्यक औषधियों को सम्मिलित करते हुए राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला में औषधियों का निर्माण कराकर औषधियों की आपूर्ति आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में की जा रही है।

अतएव लोकल परचेज तथा स्वास्थ्यवर्धक दवाओं की व्यवस्था के लिये पृथक से बजट व्यवस्था कराये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधौगंज के ग्राम अटवाअली मर्दानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में

126-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक माधौगंज के ग्राम अटवाअली मर्दानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद बस्ती के क्षय रोग चिकित्सालय में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के सम्बन्ध में

127-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के क्षय रोग चिकित्सालय में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन न होने के कारण कूड़ा निस्तारण न होने से सक्रांमक रोग फैल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षय चिकित्सालय, बस्ती में कूड़ा निस्तारण हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। जनपद बस्ती के क्षय रोग चिकित्सालय में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन के द्वारा कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है। अभी तक कूड़ा फैलने की कोई सूचना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र सगड़ी के लाटघाट बाजार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सीय सुविधा शुरू कराने विषयक

128-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के लाटघाट बाजार में 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सी0एच0सी0 केन्द्र में चिकित्सीय सुविधा शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं।

भवन पूर्ण होने, पद सृजन, उपकरणों की स्वीकृति एवं पदों पर तैनाती के उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी वि0स0 क्षेत्र के रा0प्रा0स्वा0 केन्द्र आजमगढ़ की चहारदीवारी का पुनः निर्माण विषयक

129-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सगड़ी विधान सभा क्षेत्र, सगड़ी में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आजमगढ़ की चहारदीवारी जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर चहारदीवारी का पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधन पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अस्पतालों में इमरजेन्सी बेडों एवं वेन्टीलेटर की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में

130-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में इमरजेन्सी के लगभग 750 बैड ही होने से गम्भीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इमरजेन्सी सेवाओं के लिए बेडों तथा वेन्टीलेटर की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में आये हुए आकस्मिक मरीजों को समुचित/त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जाता है। आवश्यकतानुसार चिकित्सालय में उपलब्ध अन्य शैय्याओं का उपयोग आकस्मिक रोगियों के हित में भी किया जाता है, जिससे गम्भीर मरीजों का समय पर इलाज किया जाता है तथा आकस्मिक रोगियों को किसी भी दशा में बिना उपचार के वापस नहीं किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर में नव निर्मित हास्पिटल में विशेषज्ञ डाक्टर, सर्जन, डाक्टरों की तैनाती व आई0सी0यू0 सेवा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

131-श्री वीरेन्द्र यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में निर्मित 200 बेडों का हास्पिटल में विशेषज्ञ, सर्जन डाक्टरों की तैनाती नहीं की गई है तथा आई0सी0यू0 सेवा भी नहीं प्रारम्भ है, जिस कारण आम जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हास्पिटल में विशेषज्ञ डाक्टर, सर्जन डाक्टरों की तैनाती व आई0सी0यू0 सेवा प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद गाजीपुर में निर्मित 200 बेडों का हास्पिटल में विशेषज्ञ/सर्जन डाक्टरों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या-20 है, जिसके सापेक्ष 09 विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं। विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की तैनाती उपलब्धता के आधार की जाती है।

विशेषज्ञ सर्जन उपलब्ध होने पर तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के कोषागार से स्व0 शिवदत्त पसबोला, पेंशनर को बकाया देयों का भुगतान उनके अश्रितों को कूटरचित शपथ-पत्र के आधार पर किये जाने की जांच विषयक

132-श्री संजय गर्ग-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कोषागार, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भुगतान किये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में चलन में है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार परीक्षण के तौर पर उक्त कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे स्व0 शिवदत्त पसबोला सहित पेंशनर जिनकी मृत्यु 20 जनवरी, 2016 को हो गयी थी, को बकाया देयों का भुगतान उनके आश्रितों को कूटरचित शपथ-पत्र के आधार पर किये जाने

के प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेश अग्रवाल-

जी नहीं।

स्व0 श्री शिवदत्त पसबोला की मृत्यु दिनांक 20-01-2016 को होने की सूचना बिजनौर कोषागार को है। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के अभाव में उनके बकाया देयों का भुगतान उनके आश्रितों को नहीं किया गया है। अतः दोषियों के विरुद्ध जांच कराने या कानूनी कार्रवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कूटरचित शपथ-पत्र के आधार पर भुगतान करने का प्रकरण नहीं पाया गया।

प्रदेश एवं जनपद बुलन्दशहर के जिला चिकित्सालयों में कुत्ते के काटने पर लगाये जाने वाले इन्जेक्शन की उपलब्धता के सम्बन्ध में

133-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुत्ते के काटने पर लगाये जाने वाले इन्जेक्शन (वैक्सीन) प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में हर समय उपलब्ध रहते है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बुलन्दशहर के जिला चिकित्सालय में दिनांक 12-07-2018 से 14-07-2018 के बीच यह इन्जेक्शन (वैक्सीन) उपलब्ध थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां। सामान्य रूप से वैक्सीन प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध रहती है।

उक्त अवधि में चिकित्सालय के द्वारा इंजेक्शन की मांग हेतु पत्र दिनांक 04-07-2018 निदेशक (भंडार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें को प्रेषित था। मांग के क्रम में दिनांक 20-07-2018 एवं 02-08-2018 को कुल 1000 वायल चिकित्सालय में उपलब्ध करा दी गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ स्थित ग्राम-बगहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

134-श्री अनुराग सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 जुलाई, 2018 का पत्र जो कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सीखड़ स्थित ग्राम-बगहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराये जाने विषयक है, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के वि0स0 क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ब्लाक बहरियाँ व फुटहवाँ महादेव मन्दिर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराने के सम्बन्ध में

135-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत ब्लाक बहरियां व फूटहवां महादेव मन्दिर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण लोगों को उपचार में काफी दिक्कत होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ब्लाक बहरियाँ, फूटहवाँ महादेव मन्दिर एवं सिकन्दर रौजा में एक-एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र सोरांव के अन्तर्गत बहरिया में फूटहवां महादेव मन्दिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरिया की दूरी लगभग 10 कि0मी0 तथा सिकन्दर रोजा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरिया की दूरी लगभग 04 कि0मी0 है साथ ही साथ 102 एवं 108 एम्बुलेंस सेवा भी आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं हेतु उपलब्ध रहती है, जहां से मरीजों का उपचार किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत सिद्धपीठ भूरादेव में ट्रस्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में

136-श्री नरेश सैनी-

क्या धर्मार्थ कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत सिद्धपीठ भूरादेव जो लोगों की आस्था का प्रतीक है तथा हर महीने भारी भीड़ मेले के रूप में यहां पर इक्टठी होती है ? क्या सरकार यहां पर ट्रस्ट का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा विशेष परिस्तिथियों में किसी विख्यात धार्मिक मन्दिर की शान्ति व्यवस्था, नैतिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी विकट परिस्तिथियां उत्पन्न होने पर जनहित में मन्दिर का अधिनियम बनाकर अधिग्रहण किया जाता है। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा ट्रस्ट बनाने की कार्यवाही नहीं की जाती है। ट्रस्ट मेला समिति द्वारा स्वतः बनाया जा सकता है।

जनपद बस्ती के वि0स0 क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत देवीस्थल वैड़वा समय माता मन्दिर जोगिया भानपुर तथा रूधौली के देवीस्थल सरघाट को पर्यटन की दृष्टि से विकास के सम्बन्ध में

137-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत देवीस्थल बैड़वा, समय माता मन्दिर जोगिया भानपुर तथा रूधौली तहसील की देवी स्थल सरघाट को पर्यटन विकास हेतु जिला योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां। प्रश्नगत स्थलों के पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला योजना के अन्तर्गत जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तावित किया गया था, किन्तु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा उक्त स्थलों के पर्यटन विकास की योजना अनुमोदित नहीं की गयी थी।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय बजट के राज्य योजना/जिला योजना मद में पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था/बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थलों पर पर्यटन विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है। बैडवा समय माता मन्दिर स्थल के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्प्रीचुअल सर्किट फेज-3 के अन्तर्गत योजना/प्रस्ताव केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

जनपद बस्ती के लोढ़वा बाबा शिव मन्दिर को पर्यटन स्थल बनवाने के सम्बन्ध में

138-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत लोढ़वा स्थित लोढ़वा बाबा शिव मन्दिर स्थल को पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त स्थल के विकास हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

उ0प्र0 पर्यटन विभाग के वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में जिला योजना/राज्य योजना मद में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्थल की प्रस्तावित योजना के लिये वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर (अमेठी) में एक ट्रामा सेन्टर स्थापित कराने के सम्बन्ध में

139-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-04-2015 को तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी में एक ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार घोषणानुकूल ट्रामा सेन्टर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी नहीं। (अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।)

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग जगदीशपुर में ट्रामा सेन्टर का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रदेश में संचालित 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में

140-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा का लाभ वर्ष 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 में कितने लाभार्थियों को दिया गया है विगत वर्षों की तुलना में लाभार्थी संख्या कम होने के क्या कारण हैं ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

प्रदेश में संचालित 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा का लाभ वर्ष 2015-16 में 7177788, वर्ष 2016-17 में 10516532 तथा वर्ष 2017-18 में 5967307 लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया गया।

यह सेवा मांग पर (डिमाण्ड बेस्ड) आधारित है तथा कॉल सेन्टर पर एम्बुलेंस की मांग किये जाने पर अर्ह लाभार्थियों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

जनपद लखनऊ के चौक स्थित प्राचीन काली मन्दिर के परितः विकास कार्य कराने के सम्बन्ध में

141-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के चौक क्षेत्र में स्थित प्राचीन काली मन्दिर में भारी संख्या में लोगों का आना-जाना होता है ? यदि हां, तो पर्यटन की दृष्टि से उक्त मन्दिर परिसर व उसके परितः विकास का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभागीय बजट के राज्य योजना/जिला योजना मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कादण प्रश्नगत स्थल पर पर्यटन विकास कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के वि0स0 क्षेत्र छानवे के ब्लाक हलिया में ग्राम झरना में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में

142-श्री राहुल प्रकाश-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विधान सभा क्षेत्र छानवे के ब्लाक हलिया में ग्राम झरना में क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिगत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

मानक के अनुसार निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध न होने एवं जिला अनुश्रवण समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित न होने के कारण प्रश्नगत स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है। उल्लेखीनीय है कि विधान सभा क्षेत्र छानवे के ब्लाक हलिया में ग्राम-झरना के सन्निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मतवार 12 कि0मी0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हलिया 25 कि0मी0 पर संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में मानक के अनुसार चिकित्सक, स्टॉफ और अन्य जरूरी उपकरणओं की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में

143-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीणों क्षेत्रों की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु प्रदेश की सभी पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में मानक के अनुसार चिकित्सक, स्टाफ तथा अन्य जरूरी उपकरणों की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

उपलब्धता के आधार पर।

उपरोक्तानुसार।

खण्डीय लेखाधिकारी/लेखाधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्टेट हेल्थ कार्ड निर्गत करने एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

144-श्री सुखदेव राजभर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप महालेखाकर/ डी0ए0सी0सी0 कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांक नि0 वि0-02/03/781, दिनांक 18-06-18 जो खण्डीय लेखाधिकारी/ लेखाधिकारियों

एवं उनके परिवार के सदस्यों को स्टेट हेल्थ कार्ड निर्गत करने एवं कैशलेश चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, स्टेट हेल्थ एजेंसी फॉर कम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज, (साचीज), लखनऊ से आख्या मांगी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के वि0स0 क्षेत्र छानवे के ब्लाक लालगंज हलिया में एवं ड्रामलगंज के स्वा0 केन्द्रों में बेडो की संख्या बढ़ाने विषयक

145-श्री राहुल प्रकाश-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विधान सभा क्षेत्र छानवे के ब्लाक लालगंज व हलिया में ड्रामलगंज के स्वास्थ्य केन्द्रों पर अधिक संख्या में मरीजों के आने के कारण बेडों की संख्या सरकार बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जनपद मीरजापुर में विधान सभा क्षेत्र छानवे के ब्लाक लालगंज में 30 बेड, ब्लाक हलिया में 16 बेड एवं नया प्राथ0स्वा0केन्द्र ड्रामलगंज 4 बेड क्रियाशील है। 01 लाख की आबादी पर ब्लाक हलिया में सी0एच0सी0 (30 बेड) का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर 30 बेड हलिया में बढ़ जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के ब्लाक-बावन में सी0एच0सी0 का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

146-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक बावन में सी0एच0सी0 का निर्माण विगत कई वर्षों से अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त सी0एच0सी0 का निर्माण सरकार कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है।

माह दिसम्बर, 2018 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में 100 बेड वाले संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सक, स्टाफ एवं आश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

147-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 100 बेड का संयुक्त चिकित्सालय बनकर तैयार है किन्तु चिकित्सक, स्टाफ एवं आवश्यक उपकरण न होने के कारण आमजन को इलाज हेतु परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सक, स्टाफ एवं आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

100 बेड के संयुक्त चिकित्सालय का सिविल कार्य पूर्ण है तथा फायर फाईटिंग एवं अन्य कार्य प्रक्रियाधीन है।

उक्त संयुक्त चिकित्सालय हस्तगत होने के उपरान्त चिकित्सक की तैनानी तथा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के उत्तरी वि0स0 क्षेत्र में नेहरू बाल वाटिका के सा0स्वा0 केन्द्र में चिकित्सकों के रिक्त पद भरने सम्बन्धी

148-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में नेहरू बाल वाटिका के निकट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार जनहित में रिक्त पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पद के सापेक्ष कोई पद रिक्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के वि0स0क्षे0 खड्डा में होम्योपैथिक कालेज की स्थापना करने विषयक

149-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या आयुष मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के तहत) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अनुदान संख्या-83 (2018-2019) में राजकीय होम्योपैथिक कालेज की स्थापना के लिये सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार खड्डा विधान सभा क्षेत्र में होम्योपैथिक कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

अनुदान संख्या-83 (2018-2019) में राजकीय होम्योपैथिक कालेज की स्थापना के लिए रु0 932.41 लाख की धनराशि प्राविधानित है।

जी नहीं।

अनुदान संख्या-83 में रु0 932.41 लाख की धनराशि निर्माणाधीन राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं अलीगढ़ हेतु प्राविधानित है। खड्डा विधान सभा क्षेत्र में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु कोई धनराशि का प्राविधान उक्त अनुदान संख्या-83 में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के वि0स0क्षे0 खड्डा नगर के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में चिकित्सालयों में उपकरण क्रय के लिये धन आवंटन कराने हेतु

150-श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के तहत) अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अनुदान संख्या-83 (2018-2019) के तहत चिकित्सालयों में उपकरण क्रय के लिये सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनुदान के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में कौन-कौन से उपकरण खरीदेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में 2018-19 रु0 1,92,06,633.00 की धनराशि आवंटित की गयी है, जो जिला चिकित्सालय, फतेहपुर में ट्रामा सेन्टर पर सी0टी0स्कैन मशीन के क्रय से सम्बन्धित है। जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में उपकरणों के क्रय हेतु कोई वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)
(वेल में पहले से उपस्थित समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य व श्री अजय कुमार लल्लू [xxx] नारे लगाते रहे)

मा0 अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, देवरिया कांड पर पहले चर्चा करा लीजिए। देवरिया कांड ने उत्तर प्रदेश को कलंकित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इसमें संरक्षण प्राप्त है, सरकार का संरक्षण प्राप्त है। इस कांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश से करायी जाये।

मा0 अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, आप अपने सदस्यों से कहिये कि वह अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह गलत है। नेता विरोधी दल का यह आरोप सरासर गलत है। इस कांड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई संरक्षण नहीं है।

मा0 अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, यह ठीक नहीं है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग विधान सभा की कार्यवाही को इस तरह बंधक नहीं बना सकते हैं। अब हम मदें लेते हैं।

[12:22] वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण मद संख्या-3
मा0 वित्तमंत्री जी।

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

उ0 प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2018) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-07 सन् 2018) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

नोटः--[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।
† छापे नहीं गये।

उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018†

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-08 सन् 2018) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी, अध्यादेश, 2018†

दुग्ध विकास धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद्, वाराणसी अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-09 सन् 2018) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2018) को सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 लोक सेवा (शरीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन 2018) को सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-518/ग्यारह--9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (122)-2018, दिनांक 03 अप्रैल, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-518/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(122)-2018, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-540/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (123)-2018, दिनांक 05 अप्रैल, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-540/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (123)-2018, दिनांक 05अप्रैल, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-666/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (124)-2018, दिनांक 19 अप्रैल, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-666/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (124)-2018, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-806/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (125)-2018, दिनांक 15 मई, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-806/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-1, 2017-आदेश (125)-2018, दिनांक 15 मई, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-937/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (126)-2018, दिनांक 28 मई, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-937/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (126)-2018, दिनांक 28 मई, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1093/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (127)-2018, दिनांक 13 जून, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1093/ग्यारह-9(42)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (127)-2018, दिनांक 13 जून, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1300/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (128)-2018, दिनांक 12 जुलाई, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1300/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(128)-2018, दिनांक 12 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1303/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (129)-2018, दिनांक 12 जुलाई, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागतवित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1303/ग्यारह-9(47)-17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(129)-2018, दिनांक 12 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1346/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (131)-2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1346/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश-(131)-2018, दिनांक 20 जुलाई, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1311/ग्यारह-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (130)-2018, दिनांक 16 जुलाई, 2018††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1311/ग्यारह-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी नियम-2017-आदेश (130)-2018, दिनांक 16 जुलाई, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 544/43-2-2015-सू0आ0नि02015(1)-2015, दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2016 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2016 (लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-18†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उ0प्र0 नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2017-18 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन

---

†† छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वित्त लेखा खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2016-2017 तथा विनियोग लेखा वर्ष 2016-2017†††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2016-2017 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2016-2017, उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य [xxx] नारे लगाते रहे, जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आप लोग अब थक गये होंगे। आप लोगों को शोर-शराबे से कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। विधान सभा की कार्यवाही का जीवन्त प्रसारण हो रहा है। कृपया आप लोग वेल से जाकर अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणासी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2009-2010†

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2009-2010 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणासी की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2010-2011†

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2010-2011 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गयी।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणासी की नवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2011-2012†

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की नवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2011-2012 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान जारी)

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणासी की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2012-2013†

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2012-2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणासी की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2013-2014†

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की ग्यारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2013-2014 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणासी की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2014-2015†

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2014-2015 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए

† छापी नहीं गयी।

की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2013-2014††

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शमा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ का ग्यारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2013-2014 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014††

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का ग्यारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015††

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा का बारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए की उपधारा (3) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015†

उर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का ग्यारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†† छापा नहीं गया।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2015 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास, पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2015 (उप लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखती हूं।

[12:37] उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018

1-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018

2-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:-उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018

3-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधक) विधेयक, 2018

4-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधक) विधेयक, 2018

5-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 28 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

1-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 मार्च, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017

2-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2017, जिसे दिनांक 13 मार्च, 2018 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अस्वीकृत किया था, संविधान के अनुच्छेद-197(1) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150(1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 20 मार्च, 2018 के उपवेशन में उसी रूप में पुनः पारित किया जिस रूप में यह विधेयक विधान सभा द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को मूलतः पारित किया गया था तथा इस विधेयक को विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 मार्च, 2018 की बैठक में पुनः अस्वीकृत किया था, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-197(2) सपठित उक्त प्रक्रिया नियमावली के नियम-152(2) के अधीन विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा गया, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का बीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018

3-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2018 की बैठक में पारित किया गया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018

4-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का बाइसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018

5-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का तेइसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018

6-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 28 मार्च, 2018 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018

7-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018

8-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 मार्च, 2018 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 मार्च, 2018 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवाँ अधिनियम बन गया।

कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

9-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-कर्मचारी प्रतिकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 09 मई, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवाँ अधिनियम बन गया।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

10-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 09 मई, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाइसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017

11-प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2017, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 जुलाई, 2017 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 जुलाई, 2017 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 03 मई, 2018 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2018 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवाँ अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-37 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-38।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का तृतीय प्रतिवेदन, जो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो वन विभाग के

† छापा नहीं गया।

प्राक्कलनों वर्ष 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का पंचम प्रतिवेदन†

श्री ज्ञानेन्द्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2017-2018) का पंचम् प्रतिवेदन, जो श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-41 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-42 नत्थी (ग)।

[12:45] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2018 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 23 अगस्त, 2018 को निधन के निर्देश सम्बन्धी सूचना ली जाये।

2-दिनांक 24 अगस्त, 2018 को सदन की बैठक न हो।

3-दिनांक 23 अगस्त, 2018 को निर्धारित समस्त कार्य दिनांक 27 अगस्त, 2018 को अपराह्न 12:20 बजे अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण के उपरान्त ली जाये।

तद्नुसार दिनांक 23 अगस्त, 2018 से दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>अगस्त, 2018</u>

23 गुरुवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
24 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी।
25 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
26 रविवार	बैठक नहीं होगी।
27 सोमवार	(1) 12:20 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण। (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि यदि कोई हों। (3) विधायी कार्य।
28 मंगलवार	(1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। (2) वित्तीय वर्ष 2018-2019 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण। (3) विधायी कार्य।

† छापा नहीं गया।

29 बुधवार (1) विधायी कार्य।
(2) अन्य कार्य, यदि कोई हों।
30 गुरुवार (1) विधायी कार्य।
(2) अन्य कार्य, यदि कोई हों।
31 शुक्रवार (1) विधायी कार्य।
(2) असरकारी दिवस (आधा दिन)।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज सदन में प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-43 कुछ नहीं है। अब मद संख्या-44।

[12:48] उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018††

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 24-9-18 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

†† दिनांक 27-8-18 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री बृजेश पाठक-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं लेते हैं। नियम-56 के अन्तर्गत आज दिनांक 27.08.2017 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें दो सूचनाएं चयनित की गयीं। पहली सूचना श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री मसूद अखतर, श्री नरेश सैनी, श्री राकेश सिंह, श्री सोहिल अख्तर अंसारी व श्री रितेश पाण्डेय की है। श्री लल्लू जी आप सूचना की ग्राह्यता पर अपनी बात रखिए। श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी व श्री सोहिल अख्तर अंसारी जी आप इस सूचना पर अपनी बात रखें।

(सूचना की ग्राहयता पर किसी सदस्य ने अपनी बात नहीं रखी।)

बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपनी जगह पर जाकर, यदि अपनी बात नियम-56 में कहना चाहें तो कह सकते हैं। और, आप लोग भी अब थक गए होंगे, अपने-अपने स्थान पर चले जाइए।

(वेल में आए सदस्य नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप में से कोई भी सदस्य अपनी बात नहीं कहना चाहता है इसलिए मैं नियम-56 की सूचनाएं निरस्त करता हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब हम नियम-51 की सूचनाएं लेते हैं। जो भी मा0 सदस्य वेल में हैं, वे अपने-अपने आसन पर चलें अन्यथा उनकी सूचना अस्वीकार कर दी जाएंगी। हमारा कार्यालय इसे देख लेगा।

पहली सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर कस्बा के निवासियों की जमीन पर विद्युत विभाग द्वारा बगैर अधिग्रहण किए कब्जा किए जाने का प्रयास किए जाने के संबंध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के चिकित्सालय में विगत 6-7 माह से रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ब्लाक भनवापुर स्थित गागापुर एवं ब्लाक खुनियाव स्थित ग्राम बड़हरा एवं नवेल में नदी द्वारा हो रहे कटान के दुरूस्तीकरण किए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की है और वह वेल में है इसलिए उनकी सूचना अस्वीकार की जाती है।

पांचवी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत जिला अस्पताल फिरोजाबाद में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक हसनगंज में प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों के भवनों एवं शौचालयों की मरम्मत कराए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में अधूरे पड़े कतिपय मार्गों एवं संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नौवीं सूचना डॉ0 अरूण कुमार की जनपद बरेली के संजय नगर, जियापुर, सिटी हार्ट आदि क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था कराने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में कतिपय संपर्क मार्गों की मरम्मत के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं:-

श्री सूर्यभान सिंह, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री जटाशंकर त्रिपाठी, श्री नरेंद्र सिंह वर्मा, श्री पारसनाथ यादव, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री वीरेंद्र कुमार यादव, श्री मसूद अख्तर, श्री मनोज कुमार पारस, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री रितेश पाण्डेय, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री असलम अली, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री प्रमोद उटवाल, श्री संजय गर्ग एवं श्री नफीस अहमद।

[12:51] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-08-18 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं, परन्तु जो मा0 सदस्य सदन की वेल में हैं उनकी सूचनाएं अस्वीकार हो जाएंगी।

इस प्रकार 13 सूचनाएं स्वीकार हुईं, जो निम्नवत् हैं :-

पहली सूचना श्री सूर्यभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर से लखनऊ के मध्य परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने के संबंध में।

दूसरी सूचना श्री केसर सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाब गंज के ग्राम नरही में नौआनगला में वर्ष 2018 से विद्युतीकरण न कराये जाने के संबंध में।

तीसरी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में सामुदायिक केंद्र तथा ऑडिटोरियम की स्थापना कराए जाने के संबंध में।

चौथी सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में अग्निशमन केंद्र की स्थापना कराए जाने के संबंध में है।

पांचवी सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 के अनुसार मीरजापुर में सेनानियों की विधवाओं को सम्मान राशि व पुरस्कार दिए जाने के संबंध में है।

छठीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड कलान में बम्हौरा से संगेडी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़क एवं पुलिया की जांच कराए जाने के संबंध में है।

सातवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के ब्लाक खड्डा में राजकीय इण्टर कॉलेज कटाई भरपुरवा में शिक्षक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कस्बा भानपुर व रूधौली में राजकीय महिला विद्यालय की स्थापना कराए जाने के संबंध में है।

नौवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के कतिपय मार्गों एवं लघु सेतुओं का निर्माण कराए जाने के संबंध में है।

दसवीं सूचना श्री रितेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत विशम्भरपुर मरहरा माइनर पर सड़क के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराए जाने के संबंध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भीटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराये जाने के संबंध में है।

बारहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराए जाने के संबंध में है।

तेरहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में अर्धनिर्मित मेडिकल कॉलेज में कैंसर अस्पताल यूनिट को जोड़े जाने के संबंध में है।

(उक्त सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं, पढ़ी हुई मानी गयीं सूचनाएं संलग्न हैं।)

जनपद सुल्तानपुर से लखनऊ के मध्य परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्यभान सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर के परिवहन व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहता हूं। यहां एक बस जो सुबह करीब 07.00 बजे सुल्तानपुर से चलकर बिन्देश्वरीगंज बाजार तथा हलियापुर होते हुए जनपद लखनऊ आती है तथा जनपद लखनऊ से लगभग 01:00 बजे अपराह्न चलकर इसी रास्ते से जनपद सुल्तानपुर पहुंचती है। इस रास्ते की एक मात्र यही बस है जिससे लगभग 150 कि0मी0 की यात्रा जनपद लखनऊ से जनपद सुल्तानपुर के बीच होती है। ये बस विगत काफी दिनों से नहीं चल रही है जिस दिन यह बस भेजी भी जाती है, अत्यधिक खराब बस भेजी जाती है जिससे प्रतिदिन यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जगदीशपुर से कूड़ेभार 55 कि0मी0 तक का मार्ग तथा करने के लिए अत्यधिक परेशनी का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित के मामले में मैं व्यवस्था की मांग करता हूं। जपपद सुल्तानपुर परिवहन निगम द्वारा इस बस सेवा को नई बस द्वारा निश्चित समय पर प्रतिदिन चलाने हेतु परिवहन विभाग को निर्देशित करते हुए सदन में उत्तर दिलाने की कृपा करें।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के ग्राम-नरही में नौआनगला में वर्ष 2008 से विद्युतीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केसर सिंह-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के ग्राम नरही नौआनगला में सन् 2008 से पड़े खम्भों को न लगाकर विद्युतीकरण न किये जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम नरही नौआनगला में कश्यप मोहल्ले में सन् 2008 में मा0 सांसद निधि से 7 विद्युत पोल मोहल्ले के विद्युतीकरण हेतु

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्वीकृत हुए थे। जो कि मौके पर पहुंच भी गये थे, लेकिन अभी तक मोहल्ले में विद्युतीकरण कार्य नहीं हुआ है व सभी पोल मौके पर गांव में पड़े हुए हैं।

उक्त ग्राम में अतिशीघ्र पोल लगवाकर विद्युत सप्लाई शुरू करवाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः 301 में लोक महत्व के अबिलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में सामुदायिक केन्द्र तथा आडिटोरियम की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का सिकन्द्राबाद नगर जनपद बुलन्दशहर तथा प्रदेश का एक प्रमुख नगर है। यह ग्रेटर नोएडा से लगा हुआ है तथा तहसील मुख्यालय है। यहां एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी है। इसकी आबादी लगभग 1.5 लाख है। लेकिन जनसामान्य की सुविधा हेतु यहां कोई सामुदायिक केन्द्र तथा ऑडिटोरियम नहीं है, जिसके कारण गरीब लोगों को अपने शादी-विवाह आदि छोटे-छोटे कार्यक्रम सम्पन्न करने के लिए व्यावसायिक स्थलों पर भारी धनराशि व्यय करनी पड़ती है। जनहित में सिकन्द्राबाद नगर जनपद बुलन्दशहर में एक सामुदायिक केन्द्र तथा ऑडिटोरियम का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहान जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र न होने से आग लगने की घटना होने पर अग्निशमन गाड़ियों को यहां पर पहुंचने में एक घन्टे अधिक का समय लग जाता है। जिसके कारण जब तक दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं तब तक सब कुछ राख हो जाता है। ब्लाक औरास से अग्निशमन केन्द्र लगभग 33 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। ब्लाक औरास में आग लगने पर जिले से आग बुझाने की गाड़ी आने पर अत्यधिक समय लगने के कारण काफी नुकसान होता है। जनहित में ब्लाक औरास मुख्यालय पर एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ब्लाक औरास जनपद उन्नाव में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 के अनुसार मीरजापुर में सेनानियों की विधवाओं को सम्मान राशि व पुरस्कार दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र-

[महोदय, उ0प्र0 सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 पारित होकर कानून बन गया है। उक्त कानून की धारा-6-(1) के अनुसार लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में लोकतन्त्र सेनानी की यथास्थित पति या पत्नी सम्मान राशि से प्राप्त होगी।

मीरजापुर जनपद मे सन् 2016 के बाद लोकतन्त्र सेनानी सर्वश्री ओम प्रकाश, रामलखन, कल्पनाथ उर्फ कल्लू, गोपाल दास चुनाहे, जय प्रकाश चौधरी का निधन हो चुका है। सेनानी के आश्रितों द्वारा यथोचित समय पर जिलाधिकारी, मीरजापुर को आवेदन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। परन्तु आज तक जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा सेनानी के आश्रितों को सम्मान राशि एवं सुविधाएं स्वीकृत नहीं की गयी है। जबकि प्रदेश के सभी जिलों में यह सुविधायें प्राप्त हो रही है। लोकतंत्र सेनानियों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा पारित विधेयक, 2016 के अनुसार मीरजापुर में सेनानियों के आश्रितों को सम्मान राशि एवं सुविधाएं दिया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मीरजापुर के लोकतंत्र सेनानी के आश्रितों को भी अनुमन्य सम्मान राशि एवं सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के विकास खण्ड कलान में बम्हौरा से संगेड़ी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़क एवं पुलिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड कलान में बम्हौरा से संगेड़ी तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क की तकनीकी जांच कराये जाने तथा इस सड़क पर निर्मित पुलिया की भी जांच कराये जाने हेतु पूर्व में जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक की मांग की गई है। उक्त जांच न होने से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है और कार्यों की गुणवत्ता न होने से क्षेत्रवासियों के आवागमन में कठिनाई हो रही है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-कुशीनगर के ब्लाक खड्डा में राजकीय इण्टर कालेज कटाई भरपुरवा में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी-

[महोदय, आपको अवगत कराना चाहते है कि खड्डा ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले कटाई भरपुरवा में राजकीय इण्टर कालेज स्थित है परन्तु इस विद्यालय का संचालन शिक्षक के अभाव में नहीं हो पा रहा है, यहां मात्र एक ही शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। यह शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को स्पष्ट करता है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृपया खड्डा ब्लॉक के कटाई भरपूरवा में स्थित राजकीय इण्टर कालेज में शिक्षकों की उपलब्धता कराया जाना नितांत आवश्यक है। कृपया यह जानकारी उपलब्ध करायी जाएं कि उक्त राजकीय विद्यालय पर शिक्षक की व्यवस्था का कार्य कब तक पूर्ण कराया जा सकता है। जिससे कि शैक्षिक व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से हो सकें।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त विषय को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की कृपा करें।]

जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कस्बा भानपुर व रूधौली में राजकीय महिला विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत तहसील स्तरीय कस्बा भानपुर व रूधौली में बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण बालिकाओं को 35-50 कि0मी0 की दूरी तय करके जनपद मुख्यालय पर स्थापित महाविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु आना-जाना पड़ता है। मुख्यालय स्तर पर स्थापित महिला महाविद्यालय का छात्रावास छतिग्रस्त होने के कारण आवासीय समस्या भी बनी हुई है, ऐसे में आर्थिक स्थिति से कमजोर अभिभावक अपने बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने से वंचित रह जाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के तमाम अभिभावकों के द्वारा बेटियों के उच्च शिक्षा की व्यवस्था किये जाने हेतु बराबर अनुरोध किया जाता रहा है। उक्त सम्बन्ध में मेरे द्वारा भी पत्र के माध्यम से शासन को भी अवगत कराया जाता रहा है, परन्तु शासन द्वारा संज्ञान में लिए जाने के कारण क्षेत्रीय अभिभावकों में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है।

सरकार के महत्वाकांक्षी योजना **बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं** का उद्देश्य तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक स्वास्थ्य की भांति शिक्षा के लिए भी ग्रामीण अंचलों में उच्च शिक्षा की सरकार उचित व्यवस्था नहीं करती। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं उच्च शिक्षण संस्थान के अभाव में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पिछड़ जाती है तथा कुंठित मानसिकता की शिकार भी हो जाती है। बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तर पर बालक व बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में कतिपय मार्गों एवं लघु सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र-130, बीसलपुर के अन्तर्गत निम्न उल्लिखित मार्गों तथा लघु सेतुओं के अभाव में आवागमन बाधित तो रहता ही है। अपितु क्षेत्र

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का विकास भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। कथित मार्गों तथा सेतुओं के निर्माण से क्षेत्र का विकास ही नहीं हो सकेगा अपितु आवागमन भी सरल एवं सुलभ हो जायेगा तथा इस क्षेत्र के पर्यटन केन्द्रों की भी प्रगति हो सकेंगे, राजस्व की भी वृद्धि होगी।

1-राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 731 (के) पर बरखेड़ा कलां से गांव वुहिता होकर बीसलपुर वाया पूरनपुर से लखीमपुर अर्न्तजनपदीय मार्ग पर गांव वुहिता के पास माला नदी पर लघु सेतु सहित का मिसिंग लिंक गांव वुहिता से गांव बसई पुरैना तक सेतु सहित

=लम्बाई लगभग-02.000 कि0मी0 (मिसिंग लिंक)।

2-राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 730 (बी) बीसलपुर वाया भुता-बरेली मार्ग पर बीसलपुर से गांव चुर्रासकतपुर के पास वाईपास मार्ग तक (मुख्य मार्ग) का मिशिंग लिंक तथा गांव भौरूआ के पास नदी दियोहा पर एक लघु सेतु सहित

=लम्बाई लगभग-03.000 कि0मी0 मिसिंग लिंक)।

3-अर्न्तजनपदीय मार्ग बीसलपुर वाया रामलीला, दियोरियाकलां व पूरनपुर होकर लखीमपुर खीरी तक, पर गांव ढकिया रंजीत से गांव गुलडिया सुजनी तक मिशिंग लिंक तथा गांव ढकिया रंजीत के पास माला नदी पर एक लघु सेतु सहित।

=लम्बाई लगभग-01.500 कि0मी0 मिसिंग लिंक)।

4-अर्न्तजनपदीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 731 (के) पर से वाया गांव बौनी व गांव रसयाखानपुर एवं खुदागंज होकर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 730 (सी0) तक का मिशिंग लिंक गांव बौनी से गांव वैदखेड़ा तक तथा रपटुआ नदी पर एक लघु सेतु सहित

=लम्बाई लगभग-01.000 कि0मी0 मिसिंग लिंक)।

5-अर्न्तजनपदीय मार्ग ईटगांव से वाया गांव तिल्छी-पुवांया मार्ग पर गांव चपरौआ कुइयां से खनौत नदी सेतु तथा जनपद पीलीभीत की सीमा तक मिशिंग लिंक

=लम्बाई लगभग-01.500 कि0मी0 मिसिंग लिंक)।

अतः नियम- 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा करायी जायें तथा कथित सेतुओं एवं मार्गों के निर्माणार्थ वांछनीय कार्रवाई भी की जाये।]

जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत विसम्भरपुर मरहरा माइनर पर सड़क के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

अवगत कराना है कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के वि0ख0 जलालपुर अन्तर्गत विसम्भरपुर मरहरा माइनर पर सड़क का निर्माण 400 मी0 अधूरा पड़ा है जिससे आम जनमानस को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्धित अधिकारियों से बार-बार अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विष्फोटक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[महोदय, जिला-अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-भीटी के अन्तर्गत ग्राम रामपुर ग्रिन्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र न होने के कारण आस-पास के ग्राम की जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आम जनता को ईलाज के लिए लगभग 15 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व की इस समस्या की तरफ मा0 सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृर्षित करते हुए ग्राम रामपुर ग्रिन्ट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कतिपय मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के 133-तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जनहित में कच्चे, जर्जर एवं गढ्ढायुक्त मार्गों का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में मार्ग निम्नवत् है :--

1-ग्राम लखोहा से मिर्जापुर तक डामरीकरण लगभग 02 कि0मी0 एवं एक पुलिया निर्माण, वि0ख0-तिलहर।

2-ग्राम छोटी ऊन से हरदयालनगर तक लम्बाई लगभग 01 कि0मी0, वि0ख0-तिलहर।

3-ग्राम संतोषपुर से ईश्वरा तक लम्बाई लगभग 02 कि0मी0, वि0ख0-तिलहर।

4-तिलहर निगोही मार्ग पर कुतुबपुर से ग्राम शेरापुर तक लम्बाई लगभग 500 मी0, वि0ख0-तिलहर।

5-कुंआडांडा रेलवे फाटक से रूजवारी तक लगभग लगभग 01 कि0मी0, वि0ख0-तिलहर।

6-ग्राम बाजपुर कुमरखा से कबरा हुसैनपुर तक लम्बाई 600 मी0, वि0ख0-खुदागंज।

7-बाजपुर कुमरखा से सैजना तक लम्बाई लगभग 02 कि0मी0, वि0ख0-खुदागंज।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

8-ढकिया रघा मार्ग से ग्राम धीमर गौटियां तक लम्बाई 500 मी0, वि0ख0-तिलहर।

उपरोक्त मार्गों के सम्बन्ध में मेरे द्वारा एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा अनेकों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बाद भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी। जनहित में उपरोक्त मार्गों का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।]

जनपद-फिरोजाबाद के अर्द्धनिर्मित मेडिकल कालेज में कैंसर अस्पताल यूनिट को जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, फिरोजाबाद में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहभागिता से मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना जिला अस्पताल को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज निर्माण की है।

उक्त के अनुपालन में मेडिकल कालेज के निर्माणाधीन परिसर में 120 बेड के अस्पताल भवन को जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में स्थातान्तरित कर दिया गया है। जिसके कारण मेडिकल कालेज के परिसर में निर्माणाधीन अधूरा भवन एवं स्थान वर्तमान में निष्प्रयोज्य हो गये है।

जनपद फिरोजाबाद में पिछले अनेक वर्षों से मेरे द्वारा कैंसर रोग से पीड़ित रोगियों के बीच लगातार कार्य करने के अनुरोध के कारण मेरा पूर्ण दृढ़ता के साथ यह अभिमत है कि फिरोजाबाद क्षेत्र में कैंसर रोग से बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित नागरिकों को समुचित उपचार की व्यवस्था न होने के कारण बहुत व्यापक स्तर पर जन हानि एवं धन हानि का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्याान आकृष्ट करते हुये तत्काल प्रभाव से फिरोजाबाद एवं समीपस्थ क्षेत्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ हेतु मेडिकल कालेज परिसर में पूर्व निर्धारित 120 बेड अस्पताल के अधूरे निर्मित भवन में आवश्यक प्रावधान करते हुए एक ''कैंसर अस्पताल यूनिट'' के निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

भारत सरकार की सौर ऊर्जा योजना को उत्तर प्रदेश में समुचित तरह से लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना के परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा .....

उप मुख्य मंत्री (केशव प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2017 लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत निजी आवासों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित किये जाने पर भारत सरकार की 30 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन 15000/- प्रति किलोवाट अधिकतम रु0 30000/-प्रति उपभोक्ता देय है। रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट नेटमीटरिंग प्रणाली पर आधारित होते है। रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उत्पादन दिन में पारम्परिक ऊर्जा के स्थान पर किया जाता है तथा स्थापित संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा खपत की गयी ऊर्जा से अधिक होने पर सरप्लस ऊर्जा को ग्रिड में संचारित किया जाता है। उपभोक्ता को माह का विद्युत बिल, उपयोग की गयी पारम्परिक पावर एवं फीड की गयी सरप्लस सौर पावर के नेट आधार पर प्राप्त होता है अर्थात फीड की गयी सरप्लस पावर का समायोजन उपभोक्ता को प्राप्त हो रही विद्युत ऊर्जा के टैरिफ पर किया जाता है। बिलिंग सेटिलमेंट पीरियड (वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च) के अन्तिम में असमायोजित सरप्लस विद्युत ऊर्जा उपभोक्ता से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर रु0 2.00 प्रति यूनिट की दर से क्रय की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी पक्षों से विचार-विमर्श के आधार पर सौर विद्युत मूल्य निर्धारित किया जाता है।

सौर विद्युत ऊर्जा बिहार, पंजाब राज्यों में विद्युत उपभोक्ता से न तो क्रय की जाती है, न ही आगामी वर्ष के लिए जमा मानी जाती है। हरियाणा राज्य में 90 प्रतिशत विद्युत उपभोग करने के पश्चात् सरप्लस विद्युत 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ता से क्रय की जाती है तथा झारखण्ड राज्य में असमायोजित सरप्लस विद्युत ऊर्जा का भुगतान 50 पैसे प्रतियूनिट की दर से क्रय की जाती है। अतः स्पष्ट है कि उ0प्र0 राज्य में अन्य राज्यों की अपेक्षा सौर ऊर्जा का उचित मूल्य भुगतान किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 20-08-2018 को कान्सेप्ट पेपर जारी किया है, जिसके माध्यम से मा0 आयोग ने उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग (आर0एस0पी0वी0) रेगुलेशन्स, 2015 के वर्तमान प्राविधानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सभी सम्बद्ध हितधारकों के सुझाव/टिप्पणियां दिनांक 21-09-2018 तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ में शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए जिला पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 सदस्य द्वारा अपनी सूचना में उल्लेख किया गया कि जनपद प्रतापगढ़ के जिला पंचायत द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकताओं में सम्मिलित गढ्ढामुक्त अभियान .....

उप मुख्य मंत्री (केशव प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ मान गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[के शासनादेश की पूर्णतया अवहेलना करते हुए जिला पंचायत से निर्मित जनपद की अनेकों सड़कों की दुर्दशा व बदहाली को दरकिनार करते हुए जस का तस छोड़ दिया गया, जिसके कारण जहां मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 व शासनादेशों का खुला उल्लंघन हुआ वहीं दूसरी ओर जर्जर एवं गड्ढायुक्त सड़कों में होने वाले हादसों व दुर्दशा के कारण आम जनमानस को हो रही आये दिन कठिनाई के साथ-साथ प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित होने वाले समाचारों के कारण शासन की किरकिरी हो रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर जिला पंचायत की बैठकों में प्रमुखता से तथ्य उठाये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही न होना अत्यन्त ही खेदजनक है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त सूचना को अत्यन्त लोक महत्व का विषय बताते हुए सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गई।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश की सभी सड़कों को दिनांक 15 जून, 2017 तक गढ्ढामुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तद्नुक्रम में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-561/33-2-17, दिनांक 31-03-2017 द्वारा प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों को दिनांक 15-06-2017 तक गड्ढामुक्त किये जाने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

3-मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला प्रतापगढ़ से आख्या प्राप्त की गई, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला पंचायत प्रतापगढ़ के नियंत्रणाधीन मार्गों को

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गढ्ढामुक्त किये जाने हेतु सर्वे कराया गया, जिसमें 1106 मार्गों जिनकी कुल लम्बाई 873.58 कि0मी0 थी को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु रु0 5820.88 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया। उक्त 1106 मार्गों में से 1003 मार्ग लम्बाई 788.63 कि0मी0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग (लागत रु0 4690.98 लाख) एवं 103 सड़कें लम्बाई 84.95 कि0मी0 (लागत रु0 1129.90 लाख) जिला पंचायत की थी।

4-पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/15, दिनांक 19 जून, 2015 में यह निर्देश दिये गये हैं कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत भाग अनुरक्षण पर व्यय किया जा सकता है। तद्नुक्रम में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 13-05-2017 को आहूत की गई, जिसमें उक्त शासनादेश दिनांक 19-06-2015 के आलोक में जिला पंचायत के मार्गों का अनुरक्षण कार्य उपलब्ध वार्षिक बजट के सापेक्ष कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके क्रम में जिला पंचायत प्रतापगढ़ द्वारा रु0 1059.93 लाख की लागत से 99 मार्गों जिनकी कुल लम्बाई 82.013 कि0मी0 थी, की मरम्मत कराई गई। 03 मार्ग जिनकी लम्बाई 2.237 कि0मी0 है पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 01 मार्ग जिसकी लम्बाई 700 मीटर है पर मण्डी समिति द्वारा मरम्मत का कार्य कराया गया। इसके उपरान्त उपलब्ध धनराशि के अनुरूप चरणबद्ध रूप से प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग व जिला पंचायत प्रतापगढ़ की मार्गों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में किसी भी मा0 जनप्रतिनिधि द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कभी भी कोई शिकायत नहीं की गई।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2003-04 में झरना नाले पर .....

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ मान गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[5x6 मीटर स्पान के पुल निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 58.18 लाख की संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृत लागत के सापेक्ष पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि संतोषजनक है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 में सिपहिया-कोटवा सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 1.20 कि0मी0) के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु0 49.13 लाख की संशोधित वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष 874 मीटर लम्बाई पेन्टिंग स्तर तक कार्य पूर्ण हो चुका है। मार्ग के अवशेष 326 मीटर भू-भाग पर आरक्षित वन क्षेत्र भूमि होने के कारण कार्य अवशेष है। उक्त कार्य को पूर्ण कराने के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय/वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अमानीगंज पुल से विगनिया पुल सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 5.315 कि0मी0 एवं प्राप्त स्वीकृति रु0 190.77 लाख), लालपुर से दमगढ़ी पुल सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 1.194 कि0मी0 एवं प्राप्त स्वीकृति रु0 44.022 लाख) एवं पटरंगा ग्राम से सुल्तानपुर सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 1.290 कि0मी0 एवं प्राप्त स्वीकृति रु0 52.338 लाख) के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

उक्त तीनों मार्गों की पूरी लम्बाई में जी0एस0बी0 के स्थान पर ठेकेदार द्वारा विशिष्टियों के विपरीत जी0-1 का पत्थर लगाया गया था। मार्ग की जांच तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल, फैजाबाद द्वारा माह अक्टूबर, 2017 में की गयी। जांच के आधार पर तत्कालीन अवर अभियन्ता, श्री आर0के0 यादव को निलम्बित किया गया। प्रकरण के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, श्री आर0के0 वर्मा एवं सहायक अभियन्ता, श्री एस0पी0 राव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

उपर्युक्त तीनों मार्गों पर कार्य की वर्तमान स्थिति से अधिक एवं त्रुटिपूर्ण भुगतान तथा जांच से सम्बन्धित साक्ष्यों की यथास्थिति बनाये रखने के दृष्टिगत वर्तमान में कार्य अवरूद्ध है।]

श्री अध्यक्ष-

मैं वेल में आए हुए सभी मा0 सदस्यों से एक बार फिर अनुरोध करता हूं, विनम्र अनुरोध करता हूं कि उन्हें सदन की कार्यवाही इस प्रकार बाधित नहीं करनी चाहिए और काफी लम्बे अरसे से आप लोगों ने सदन की कार्यवाही को बाधित करते हुए एक बुरी व्यवस्था उत्पन्न कर दी है आपके द्वारा कही गयी कोई बात, वेल ऑफ द हाउस से की जा रही नारेबाजी, यह किसी भी सूरत में हमारी विधान सभा की कार्यवाही का भाग नहीं होगी। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं आप लोग प्रश्नकाल शुरू होते समय कह रहे थे कि हमारी बात सुनी जाए, सत्तापक्ष बैठा है, आपकी बात का उत्तर देने के लिए, आप अपनी बात रख सकते है। आपके आचरण और व्यवहार से, आप सब मित्र है, हम लोगों के, हम सब आपस में मित्र है। आपके

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आचरण-व्यवहार से ऐसा लगता है कि आप समस्याएं नहीं उठाना चाहते और सदन की कार्यवाही स्थगन में आपकी रूचि ज्यादा है। मैं अन्तिम अनुरोध के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप अपनी सीट पर जायें, चूंकि सदन में घोर अव्यवस्था है और सदन का बहुमत, बहुजन समाज पार्टी सहित, सदन चलाना चाहता है और सदन चलाने में कठिनाई हो रही है, इसलिए मैं सदन की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित करता हूं और हम कल सुबह 11.00 बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 27 अगस्त, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

uRFkh&d

¼nsf[k, rkjkafdr iz'u la0&5 dk mÙkj ihNs i`"B i`"B la0 17 ij½

Qkbysfj;k izHkkfor 51 tuin

1&bykgkckn
2&vEcsMdjuxj
3&vkSjS;k
4&vktex<+
5&cjsyh
6&cfy;k
7&cyjkeiqj
8&ckank
9&ckjkcadh
10&cLrh
11&cgjkbp
12&pnkSyh
13&fp=dwV
14&nsofj;k
15&bVkok
16&QStkckn
17&Q:Z[kkckn
18&Qrsgiqj
19&xkthiqj
20&xks.Mk
21&xksj[kiqj
22&gehjiqj
23&gjnksbZ
24&tkykSu
25&tkSuiqj
26&dUukSt
27&dkuiqj uxj
28&dkuiqj nsgkr
29&dkS'kkEch
30&[khjh
31&dq'khuxj
32&y[kuÅ
33&egjktxat
34&egksck
35&eÅ
36&fetkZiqj
37&ihyhHkhr
38&izrkix<+
39&jk;cjsyh
40&jkeiqj
41&lUrdchj uxj
42&larjfonkl uxj
43&'kkgtgkaiqj
44&JkoLrh
45&fl)kFkZuxj
46&lhrkiqj
47&lksuHknz
48&lqYrkuiqj
49&mUuko
50&okjk.klh
51&vesBh

ih0,l0;w0ih0&,y0 34 fo/kku lHkk ¼46½&27&08&2018&631 izfr;ka ¼dEI;wVj½A